

खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश,

खेल-भवन, लखनऊ।

संख्या: 823 / वि०प्रतियो०मानक पत्रा० / 204-25

दिनांक 11 जून, 2024

1. उप निदेशक, क्षेत्रीय खेल कार्यालय, कानपुर।
2. समस्त क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. प्रभारी अधिकारी, अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स काम्पलेक्स, प्रयागराज।
4. जिलों पर स्वतंत्र रूप से तैनात क्रीड़ा अधिकारी / सप क्रीड़ा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

विषय:- जिला/मण्डल/प्रदेश स्तरीय (बालक/बालिका), ओपेन राज्य एवं अखिल भारतीय प्रतियोगिताओं के माह जून, 2024 से निर्धारित व्यय का मानक एवं दिशा निर्देश।

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि जिला/मण्डल/प्रदेश स्तरीय (बालक/बालिका), ओपेन राज्य एवं अखिल भारतीय प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु खेल निदेशालय, उ०प्र० के पत्र संख्या: 770/वि०प्रतियो०मानक पत्रा०/2019-20 दिनांक 30.05.2019, पत्र संख्या: 4362/मानक पत्रा०/2021-22 दिनांक 03.02.2022, पत्र सं० 2352 दिनांक 12.09.2022, पत्र सं०-2433/प्रति० मानक/2022-23 दिनांक 22.09.2022 एवं पत्र सं०-5045 दिनांक 18.03.2023, पत्रांक 4182 दिनांक 20.01.2023 द्वारा निर्गत मानक एवं दिशा-निर्देशों को अवकमित किया जाता है।

निरन्तर बढ़ती महंगाई/मूल्य वृद्धि/खिलाडियों को उच्च स्तरीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत जिला/मण्डल/प्रदेश स्तरीय, ओपेन राज्य आमंत्रण, अखिल भारतीय प्रतियोगिताओं में सम्भावित व्ययों के पुनः मूल्यांकन हेतु गठित विभागीय कमेटी की आख्या एवं संस्तुति पर विचारोपरान्त जिला/मण्डल/प्रदेश स्तरीय (बालक/बालिका), ओपेन राज्य एवं अखिल भारतीय प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु संशोधित व्ययों के मानक एवं दिशा निर्देश निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के साथ निर्गत किये जा रहे हैं:-

1. किसी भी दशा में निर्धारित मानक से अधिक व्यय मान्य न होगा। अपरिहार्य परिस्थिति में अधोहस्ताक्षरी की पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी। व्ययाधिक्य की स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी का होगा।
2. भण्डार कय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायें।
3. निर्गत संशोधित मानक/दिशा-निर्देश माह जून, 2024 से प्रभावी होगा।

अतः जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं (बालक/बालिका), प्रदेश स्तरीय महिला प्रतियोगिताओं, निदेशालय एवं प्रदेशीय क्रीड़ा संघों के समन्वय से आयोजित होने वाली प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताओं (बालक/बालिका), ओपेन राज्य आमंत्रण प्रतियोगिताओं एवं अखिल भारतीय प्रतियोगिताओं के संशोधित मानक/दिशा-निर्देशों को एक-एक प्रति इस पत्र के साथ सलंगन कर इस निर्देश के साथ निर्गत है कि निर्धारित व्यय के मानको एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार विभागीय प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त आदेशों का पालन कड़ाई से किया जाय।

सलगनक:- यथोपरि।

(डा० आर०पी० सिंह)
निदेशक, खेल।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिनिधि:- बजट एवं लेखा अनुभाग, मुख्यालय, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा० आर०पी० सिंह)
निदेशक, खेल।

विभागीय प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु दिशा-निर्देश एवं मानक

राष्ट्रीय पर्वों (15 अगस्त, 02 अक्टूबर, 26 जनवरी) के शुभ अवसर पर जिलों में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय पर्वों पर आयोजित होने वाले प्रतियोगिताओं पर रू० 46,200/- (15 अगस्त हेतु रू० 15,400/-, 02 अक्टूबर हेतु रू० 15,400/- एवं 26 जनवरी हेतु रू० 15,400/- जिसमें पुरस्कार पर रू० 10,400/- एवं रू० 5,000/- विविध व्यय, उद्घाटन/समापन,फोटोग्राफी पर व्यय) का व्यय कीड़ा प्रतियोगिता मद से किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

जिला एवं मण्डल स्तरीय प्रतियोगिता का उद्देश्य एवं दिशा-निर्देश:-

जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन का उद्देश्य यह है कि जिलों के खिलाड़ियों में खेल के प्रति उत्साह बढ़े तथा उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत हो एवं खेल में नियमों की जानकारी प्राप्त हो सकें। जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में टीम गेम्स में जनपदीय मुख्यालय पर कम से कम 06 टीमों तथा मण्डलीय मुख्यालय पर 08 टीमों, इन्डीविजुवल खेलों में जनपदीय मुख्यालय पर कम से कम 50 खिलाड़ी तथा मण्डलीय मुख्यालय पर 75 खिलाड़ी अवश्य होनी चाहिए। इन प्रतियोगिताओं पर होने वाला व्यय प्रतियोगिता मद से वहन किया जायेगा।

29 अगस्त को स्व० ध्यानचन्द जी के जन्मदिवस पर आयोजित होने वाली जिला स्तरीय हाकी प्रतियोगिता हेतु :-

प्रत्येक जनपदों में 29 अगस्त "खेल दिवस" को हाकी के जादूगर स्व० ध्यानचन्द के जन्म दिवस पर 14 वर्षीय जिला स्तरीय हाकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है।

खेल निदेशालय द्वारा उक्त प्रतियोगिता हेतु प्रत्येक जनपद में 30-30 हाकी स्टिक दी जायेगी, क्योंकि बहुत से खिलाड़ियों के पास हाकी स्टिक नहीं होती है और न ही स्कूलों में उपलब्ध रहती है। सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा हाकी स्टिक का औचित्य पूर्ण प्रस्ताव निदेशालय को भेजा जायेगा।

उक्त पर होने वाला समस्त व्यय प्रतियोगिता मद से वहन किया जायेगा।

प्रदेशीय कीड़ा संघों के समन्वय से आयोजित होने वाली प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु उद्देश्य एवं दिशा-निर्देश:-

सब-जूनियर, जूनियर वर्ग एवं सीनियर वर्ग के बालक एवं बालिकाओं को प्रोत्साहन दिये जाने के उद्देश्य से खेल विभाग द्वारा प्रदेशीय कीड़ा संघों के समन्वय से विभिन्न खेलों में प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताओं के आयोजन कराये जाने का केवल एक ही उद्देश्य है कि प्रदेश में खेल को बढ़ावा दिया जाय और संघों की कार्य प्रणाली में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न हो। खेल के चतुर्मुखी विकास एवं प्रत्येक जिले के उदीयमान खिलाड़ियों को खेल में भाग लेने के लिए अवसर प्राप्त हो सकें। जिसके लिए जिला एवं मण्डल स्तर पर चयन/ट्रायल्स एवं प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताओं को आयोजित कराया जाना है। जिससे कि प्रदेश के सभी उदीयमान खिलाड़ी एवं प्रतिभायें सामने आ सकें।

1- जिला स्तर पर चयन/ट्रायल्स के पश्चात् जिले में गठित चयन समिति द्वारा खिलाड़ियों का चयन किया जायेगा, जिलों पर चयनित खिलाड़ी प्रत्येक मण्डल पर आयोजित चयन/ट्रायल्स में भाग लेंगे। मण्डल पर मण्डलीय टीम का चयन गठित चयन समिति द्वारा किया जायेगा। चयनित मण्डलीय टीम/खिलाड़ी आयोजित होने वाले प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे।

2- प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताओं के दौरान सम्बन्धित खेल संघ की गठित चयन समिति प्रदेशीय टीमों का चयन करेगी, जिसमें खेल निदेशालय का एक विशेषज्ञ पूर्व की भौति ही चयन समिति के सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जायेगा।

3- जिला एवं मण्डल स्तरीय चयन/ट्रायल्स पर होने वाला व्यय एवं प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताओं पर होने वाला समस्त व्यय खेल विभाग द्वारा वहन किया जायेगा। यहाँ पर विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि प्रशासनिक तथा वित्तीय दृष्टिकोण से निदेशालय द्वारा इन प्रतियोगिताओं के आयोजन पर होने वाले व्यय को अनुदान के रूप में संघों को दिया जाना सम्भव नहीं है।

4- सब-जूनियर, जूनियर एवं सीनियर वर्ग में स्कूल/कालेजों के बालक/बालिकाएँ ही भाग लेंगे/लेगी, अतः इस बात को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित चयन समिति निर्धारित की जाती है:-

जिला स्तर पर :-

- | | |
|--|---------|
| 1-क्रीडा अधिकारी/उपक्रीडाधिकारी (जैसी भी स्थिति हो)- | अध्यक्ष |
| 2-खेल विशेष से सम्बन्धित जिला खेल संघ का सचिव/प्रतिनिधि- | सदस्य |
| 3-जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नामित प्रतिनिधि- | सदस्य |
| 4-खेल विशेष से सम्बन्धित प्रशिक्षक या खेल विशेषज्ञ- | सदस्य |

मण्डल स्तर पर:-

- | | |
|--|---------|
| 1-क्षेत्रीय क्रीडा अधिकारी/क्रीडाधिकारी (जैसी भी स्थिति हो)- | अध्यक्ष |
| 2-खेल विशेष से सम्बन्धित जिला खेल संघ का सचिव/प्रतिनिधि- | सदस्य |
| 3-संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा नामित प्रतिनिधि- | सदस्य |
| 4-खेल विशेष से सम्बन्धित प्रशिक्षक या खेल विशेषज्ञ- | सदस्य |

5- नामित चयन समिति के सदस्यों को निदेशालय द्वारा कोई यात्रा-भत्ता/दैनिक भत्ता आदि नहीं दिया जायेगा। प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताओं हेतु स्थानीय क्वालीफाईड निर्णायक आमंत्रित किये जायेंगे, स्थानीय क्वालीफाईड निर्णायक उपलब्ध न होने की दशा में ही बाहर से क्वालीफाईड निर्णायक आमंत्रित किये जायेंगे। क्वालीफाईड निर्णायक सम्बन्धित प्रदेशीय क्रीडा संघों से नामित किया/कराया जायेगा।

6- प्रदेशीय क्रीडा संघों के समन्वय से आयोजित होने वाली राज्य सब-जूनियर, जूनियर एवं सीनियर वर्ग बालक/बालिका प्रतियोगिताओं में स्पोर्ट्स कालेज एवं आवासीय क्रीडा छात्रावास की टीमों/खिलाड़ी सीधे प्रतिभाग करेंगे, स्पोर्ट्स कालेज एवं आवासीय क्रीडा छात्रावास के खिलाड़ी जिला एवं मण्डल स्तरीय चयन/ट्रायल्स में भाग नहीं लेंगे। उक्त प्रतियोगिता में भाग लेने वाली स्पोर्ट्स कालेज एवं छात्रावासों की टीमों पर होने वाला समस्त व्यय सम्बन्धित स्पोर्ट्स कालेज एवं सम्बन्धित छात्रावास से वहन किया जायेगा।

7- जिला स्तर पर आयोजित होने वाले चयन/ट्रायल्स में प्रत्येक खेल के चयन/ट्रायल्स पर ₹0 1,000/- प्रति खेल यथावत् तथा मण्डल स्तर पर आयोजित किए जाने वाले चयन-ट्रायल्स पर ₹0 2,000/- प्रति खेल व्यय करने की अनुमति प्रदान की जाती है, जिस पर होने वाला व्यय प्रतियोगिता मद से वहन किया जायेगा। ट्रायल्स में उपकरण स्थानीय प्रशिक्षण हेतु उपयोग किये जाने वाले उपकरण ही प्रयोग में लाये जायेंगे। उपकरण हेतु अलग से कोई धनराशि नहीं दी जायेगी। यदि उपकरण जनपद में उपलब्ध नहीं हो तो अपने मण्डल एवं जनपद में उपलब्ध उपकरण को लेकर ट्रायल्स में उपकरण उपयोग में लाया जाय तथा ट्रायल्स समाप्ति के उपरान्त उपकरण सम्बन्धित जनपद को वापस कर दिये जायेंगे।

8- जिले स्तर पर आयोजित चयन/ट्रायल्स में भाग लेने वाले खिलाड़ी अपने स्वयं के खर्च पर भाग लेंगे। जिले पर प्रत्येक खेल के 10 उत्कृष्ट चयनित खिलाड़ी ही मण्डल स्तर पर आयोजित चयन/ट्रायल्स में भाग लेंगे।

9- मण्डल पर आयोजित चयन/ट्रायल्स में भाग लेने वाले खिलाड़ी एवं साथ आने वाले टीम मैनेजर/कोच को रेल किराया द्वितीय श्रेणी/बस किराया (साधारण किराया) दिया जायेगा। मण्डल स्तर पर प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को किराया जिले के सम्बन्धित अधिकारी द्वारा वहन किया जायेगा।

10- प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताओं में स्थानीय टीम/खिलाड़ियों को मात्र दैनिक भत्ता की सुविधा प्रदान की जायेगी।

11- मण्डलीय टीमों को भेजने का दायित्व सम्बन्धित मण्डलीय अधिकारी का है तथा मण्डलीय अधिकारियों द्वारा मण्डलीय टीम के सदस्यों को द्वितीय श्रेणी स्लीपर क्लास रेल किराया आरक्षण सहित/बस किराया (विन्डो टिकट का पूर्ण भुगतान एवं आनलाइन कन्फर्म टिकट का कनवीनिएन्स व अन्य चार्ज छोड़कर पूर्ण भुगतान किया जायेगा, आनलाइन वेटिंग की कन्फर्मेशन का साक्ष्य देने पर ही टिकट का भुगतान किया जायेगा) तथा अनुसार्गिक व्यय ₹0 200/- प्रति सदस्य की दर से प्रदान किया जायेगा।

12- टीमों/खिलाड़ियों को रेल सुविधा उपलब्ध न होने की दशा में ही बस साधारण किराया अनुमन्य होगा।

13- सम्बन्धित खेलों के प्रदेशीय क्रीडा संघों को संघ के समन्वय से आयोजित होने वाली प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताओं व अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिताओं हेतु कैपिटेशन शुल्क नहीं दी जायेगी।

14- संघों के समन्वय से आयोजित होने वाली प्रदेश स्तरीय सब-जूनियर, जूनियर, सीनियर वर्ग बालक एवं बालिका प्रतियोगिताओं, जिला तथा मण्डल पर आयोजित होने वाले ट्रायल्स पर होने वाला समस्त व्यय प्रतियोगिता मद से वहन किया जायेगा।







15- पुरस्कार, दैनिक भत्ता, आवास, विविध व्यय, परिवहन एवं अन्य समस्त मदों हेतु निर्धारित धनराशि में जी0एस0टी0 सम्मिलित रहेगी। निर्धारित धनराशि के अलावा जी0एस0टी0 पर अलग से व्यय न किया जाय।

16- निर्धारित मानक के विपरीत किए जाने वाले व्यय की पूर्व अनुमति निदेशक महोदय से प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा अन्यथा मानक के विपरीत किए गए व्यय की धनराशि का आवंटन किए जाने हेतु विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।

प्रदेश स्तरीय महिला खेल प्रतियोगिता के सम्बन्ध में निर्देश:-

1- जिला एवं मण्डल स्तर पर ट्रायल्स आयोजित कर खिलाड़ियों का चयन किया जायेगा। मण्डल स्तर पर चयनित टीम/खिलाड़ी प्रदेश स्तरीय महिला प्रतियोगिता में भाग लेंगे।

2- जिला पर आयोजित चयन/ट्रायल्स में भाग लेने वाले खिलाड़ी अपने स्वयं के खर्चे पर भाग लेंगे। जिले पर प्रत्येक खेल के 10 उत्कृष्ट चयनित महिला खिलाड़ी ही मण्डल स्तर पर आयोजित चयन/ट्रायल्स में भाग लेंगे।

3- मण्डल पर आयोजित चयन/ट्रायल्स में भाग लेने वाले खिलाड़ी एवं टीम मैनेजर/कोच को रेल किराया द्वितीय श्रेणी/बस किराया (साधारण किराया) दिया जायेगा। मण्डल स्तर पर प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को किराया जिले के सम्बन्धित अधिकारी द्वारा वहन किया जायेगा।

4- मण्डल स्तर पर भाग लेने वाली खिलाड़ियों का चयन टीम की निर्धारित संख्या के अनुसार करके राज्य स्तरीय महिला प्रतियोगिता में प्रतिभाग हेतु भेजी जायेगी। मण्डलीय टीम के साथ प्रत्येक खेल में एक मैनेजर होगा। जिसमें विभागीय महिलाओं को प्राथमिकता दी जाय। मण्डल स्तर पर चयनित टीम/खिलाड़ियों की सूची आयोजन अधिकारी एवं निदेशालय को भेजी जायेगी।

5- मण्डलीय टीमों को भेजने का दायित्व सम्बन्धित मण्डलीय अधिकारी का है तथा मण्डलीय अधिकारियों द्वारा मण्डलीय टीम के सदस्यों को द्वितीय श्रेणी स्लीपर क्लास रेल किराया आरक्षण सहित/बस किराया एवं अनुसंगिक व्यय रू0 200/- प्रति सदस्य की दर से प्रदान किया जायेगा।

6- जिला एवं मण्डल पर चयन समिति निम्नवत होगी:-

जिला स्तर पर:-

- | | |
|---|---------|
| 1-क्रीडा अधिकारी/उप क्रीडा अधिकारी (जैसी भी स्थिति हो)- | अध्यक्ष |
| 2-जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नामित प्रतिनिधि- | सदस्य |
| 3-खेल विशेष से सम्बन्धित प्रशिक्षक अथवा खेल विशेषज्ञ- | सदस्य |
| 4-सम्बन्धित संघ द्वारा नामित एक स्थानीय खेल विशेषज्ञ- | सदस्य |

मण्डल स्तर पर:-

- | | |
|--|---------|
| 1-क्षेत्रीय क्रीडा अधिकारी/क्रीडा अधिकारी (जैसी भी स्थिति हो)- | अध्यक्ष |
| 2-संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा नामित प्रतिनिधि- | सदस्य |
| 3-खेल विशेष से सम्बन्धित प्रशिक्षक अथवा खेल विशेषज्ञ- | सदस्य |
| 4-सम्बन्धित संघ द्वारा नामित एक स्थानीय खेल विशेषज्ञ- | सदस्य |

7- प्रदेश स्तरीय समस्त समन्वय प्रतियोगिताएं/प्रदेश स्तरीय महिला प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाली मण्डलीय टीमों को सम्बन्धित मण्डल के क्षेत्रीय क्रीडा अधिकारी द्वारा मण्डल हेतु निर्धारित कलर की रू0 800/- (रुपया आठ सौ मात्र) प्रति सदस्य की दर से स्पोर्ट्स टी-शर्ट्स व नेकर (प्लेड्ज किट) जिस पर मण्डल का नाम, खेल का नाम, खेलवार जर्सी नम्बर एवं वर्ष छपा हो, दी जायेगी। प्रत्येक मण्डल हेतु निम्नानुसार अलग-अलग कलर निर्धारित किये जाते हैं:-

क0स0	मण्डल का नाम	टी-शर्ट का कलर
1	लखनऊ	सफेद
2	आगरा	समुद्री हरा
3	वाराणसी	हरा
4	इलाहाबाद	मेहरूम
5	मेरठ	नीला
6	बरेली	आसमानी नीला
7	मुरादाबाद	नीला एव सफेद

8	फैजाबाद	पीला
9	गोरखपुर	ग्रे (भूरा)
10	कानपुर	रानी कलर
11	झांसी	नारंगी
12	आजमगढ़	कीम कलर
13	सहारनपुर	लाल एवं सफेद
14	चित्रकूटधाम मण्डल	हरा एवं सफेद
15	मिर्जापुर	नारंगी एवं सफेद
16	बस्ती	हरा एवं नारंगी
17	देवीपाटन मण्डल (गोण्डा)	नीला एवं हरा
18	अलीगढ़	बैंगनी एवं सफेद

8- जिला, मण्डल स्तरीय टायल्स तथा प्रदेश स्तरीय समन्वय एवं प्रदेश स्तरीय महिला प्रतियोगिता पर होने वाला समस्त व्यय प्रतियोगिता मद से वहन किया जायेगा।

विभागीय समस्त चयन/टायल्स एवं प्रतियोगिताओं हेतु व्यय का दिशा-निर्देश:-

विभागीय समस्त चयन/टायल्स एवं प्रतियोगिताओं पर होने वाला समस्त व्यय प्रतियोगिता मद से वहन किया जायेगा।

1- जिलों में आयोजित होने वाली समस्त चयन/टायल्स एवं प्रतियोगिताओं का व्यय भार संबंधित जनपद द्वारा वहन किया जायेगा।

2- जिलों से मण्डल तक जाने वाली समस्त टीमों का यात्रा-भत्ता सम्बन्धित जिलों के अधिकारी द्वारा वहन किया जायेगा।

3- मण्डल से राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भेजी जाने वाली समस्त टीमों को द्वितीय श्रेणी स्तीपर क्लास आरक्षण सहित यात्रा-भत्ता, अनुसागिक व्यय सम्बन्धित क्षेत्रीय क्रीडा अधिकारी/क्रीडा अधिकारी (जैसी भी स्थिति हो) द्वारा वहन किया जायेगा।

4- प्रदेश स्तर की प्रतियोगिताओं में आयोजन से सम्बन्धित भोजन, पुरस्कार, आवास, तथा अन्य व्यय आयोजन स्थल के सम्बन्धित अधिकारी द्वारा वहन किया जायेगा।


6- ओपेन राज्य आमंत्रण प्रतियोगिता के आयोजन पर होने वाला समस्त व्यय आयोजन अधिकारी द्वारा वहन किया जायेगा।

ओपेन राज्य आमंत्रण प्रतियोगिता:-

खेल विभाग द्वारा खेलों के प्रचार-प्रसार हेतु बजट को दृष्टिगत रखते हुए ओपेन राज्य आमंत्रण प्रतियोगिताओं का आयोजन प्रतियोगिता मद से कराया जायेगा।

विभागीय प्रतियोगिताओं में अधिक से अधिक खिलाड़ियों को प्रतिभाग कराने के प्रयास किये जाये तथा स्थानीय स्कूलों एवं कालेजों से सम्पर्क स्थापित किया जाये जिससे प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों की संख्या में बढोत्तरी हो।

चयन/टायल्स एवं प्रतियोगिताओं के आयोजन का व्यापक प्रचार-प्रसार इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रिन्ट मीडिया के माध्यम से तथा स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराया जाय जिससे कि अधिक से अधिक खिलाड़ी प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर सकें।







(डा० आर०पी० सिंह)
निदेशक, खेल।

परिशिष्ट- "क"

सब जूनियर एवं जूनियर एथलेटिक्स बालक/बालिका इवेंट्स:-

एथलेटिक्स इवेंट्स सब जूनियर- बालक एवं बालिका (अण्डर-16वर्ष) बालक/बालिका वर्ग :-

क्र०सं०	बालक वर्ग		बालिका वर्ग	
1	100 मी०		100 मी०	
2	200 मी०		200 मी०	
3	400 मी०		400 मी०	
4	800 मी०		800 मी०	
5	2000 मी०		2000 मी०	
6	100 मी० हर्डिल्स	91.4से०मी०	100 मी० हर्डिल्स	76.2से०मी०
7	हाई जम्प		हाई जम्प	
8	लांग जम्प			
9	शाट पुट	5.00कि०ग्रा०	शाट पुट	3.00कि०ग्रा०
10	डिसकस थ्रो	1.50कि०ग्रा०	डिसकस थ्रो	1.00कि०ग्रा०
11	हैमर थ्रो	5.00कि०ग्रा०	जेवलिन थ्रो	500ग्राम
12	जेवलिन थ्रो	700 ग्रा०	मिडले रिले	
13	मिडले रिले		पेन्टाथलान(दो दिन)	पॉच इवेंट
14	पेन्टाथलान(दो दिन)	पॉच इवेंट	रेस वाकिंग (ट्रैक)	3000मी०
15	रेस वाकिंग (ट्रैक)	5000मी०		

एथलेटिक्स इवेंट्स जूनियर (अण्डर-20वर्ष) बालक/बालिका वर्ग एवं सीनियर बालक/बालिका वर्ग

क्र०सं०	बालक वर्ग		बालिका वर्ग	
1	100 मी०		100 मी०	
2	200 मी०		200 मी०	
3	400 मी०		400 मी०	
4	800 मी०		800 मी०	
5	1500मी०		1500मी०	
6	3000 मी०		3000 मी०	
7	110 मी० हर्डिल्स	91.4से०मी०	100 मी० हर्डिल्स	76.2से०मी०
8	400 मी० हर्डिल्स	83.8से०मी०	400 मी० हर्डिल्स	76.2से०मी०
9	2000मी०स्टिपल चेस	83.8से०मी०	2000मी०स्टिपल चेस	76.2से०मी०
10	हाई जम्प		हाई जम्प	
11	पोल वाल्ट		पोल वाल्ट	
12	लांग जम्प		लांग जम्प	
13	ट्रिपल जम्प		ट्रिपल जम्प	
14	शाट पुट	5.00कि०ग्रा०	शाट पुट	3.00कि०ग्रा०
15	डिसकस थ्रो	1.50कि०ग्रा०	डिसकस थ्रो	1.00कि०ग्रा०
16	हैमर थ्रो	5.00कि०ग्रा०	हैमर थ्रो	300ग्राम
17	जेवलिन थ्रो	700 ग्रा०	जेवलिन थ्रो	500ग्राम
18	मिडले रिले		मिडले रिले	
19	डेकेथलान(दो दिन)	दस इवेंट	हेप्थालान	सात इवेंट
20	रेस वाकिंग (ट्रैक)	10000मी०	रेस वाकिंग (ट्रैक)	

सब-जूनियर बाक्सिंग बालक एवं बालिका भार श्रेणी:-

(आयु वर्ग 13 से 14 वर्ष)

बालक वर्ग		बालिका वर्ग		
क्र०स०	भारश्रेणी से	भारश्रेणी तक	भारश्रेणी तक	भारश्रेणी तक
1	33 कि०ग्रा०	35 कि०ग्रा०	31 कि०ग्रा०	33 कि०ग्रा०
2	35 कि०ग्रा०	37 कि०ग्रा०	33 कि०ग्रा०	35 कि०ग्रा०
3	37 कि०ग्रा०	40 कि०ग्रा०	35 कि०ग्रा०	37 कि०ग्रा०
4	40 कि०ग्रा०	43 कि०ग्रा०	37 कि०ग्रा०	40 कि०ग्रा०
5	43 कि०ग्रा०	46 कि०ग्रा०	40 कि०ग्रा०	43 कि०ग्रा०
6	46 कि०ग्रा०	49 कि०ग्रा०	43 कि०ग्रा०	46 कि०ग्रा०
7	49 कि०ग्रा०	52 कि०ग्रा०	46 कि०ग्रा०	49 कि०ग्रा०
8	52 कि०ग्रा०	55 कि०ग्रा०	49 कि०ग्रा०	52 कि०ग्रा०
9	55 कि०ग्रा०	58 कि०ग्रा०	52 कि०ग्रा०	55 कि०ग्रा०
10	58 कि०ग्रा०	61 कि०ग्रा०	55 कि०ग्रा०	58 कि०ग्रा०
11	61 कि०ग्रा०	64 कि०ग्रा०	58 कि०ग्रा०	61 कि०ग्रा०
12	64 कि०ग्रा०	67 कि०ग्रा०	61 कि०ग्रा०	64 कि०ग्रा०
13	67 कि०ग्रा०	70 कि०ग्रा०	64 कि०ग्रा०	67 कि०ग्रा०
14	70+	-	67+	-

बाक्सिंग जूनियर वर्ग (आयु वर्ग 15-16 वर्ष) भारश्रेणी :-

बालक/बालिका वर्ग

क्र०स०	वेट कैटगरी	भारश्रेणी से	भारश्रेणी तक
1.	पिन	44 कि०ग्रा०	46 कि०ग्रा०
2	लाइट फ्लाइ वेट	46 कि०ग्रा०	48 कि०ग्रा०
3	फ्लाइ वेट	48 कि०ग्रा०	50 कि०ग्रा०
4	लाइट बेन्टम वेट	50 कि०ग्रा०	52 कि०ग्रा०
5	बेन्टम वेट	52 कि०ग्रा०	54 कि०ग्रा०
6	फौदर वेट	54 कि०ग्रा०	57 कि०ग्रा०
7	लाइट वेट	57 कि०ग्रा०	60 कि०ग्रा०
8	लाइट वेल्टर	60 कि०ग्रा०	63 कि०ग्रा०
9	वेल्टर वेट	63 कि०ग्रा०	66 कि०ग्रा०
10	लाइट मिडिल वेट	66 कि०ग्रा०	70 कि०ग्रा०
11	मिडिल वेट	70 कि०ग्रा०	75 कि०ग्रा०
12.	लाइट हैवी वेट	75 कि०ग्रा०	80 कि०ग्रा०
13	हैवी वेट	80 कि०ग्रा०	-

बाक्सिंग सीनियर वर्ग (आयु वर्ग 19 से 40 वर्ष) भारश्रेणी :-

पुरुष वर्ग

महिला वर्ग

क्र०स०	वेट कैटगरी	भारश्रेणी से	भारश्रेणी तक	वेट कैटगरी	भारश्रेणी से	भारश्रेणी तक
1	मिनीमम वेट	46 कि०ग्रा०	48 कि०ग्रा०	मिनीमम वेट	45 कि०ग्रा०	48 कि०ग्रा०
2	फ्लाइ वेट	48 कि०ग्रा०	51 कि०ग्रा०	लाइट फ्लाइ वेट	48 कि०ग्रा०	50 कि०ग्रा०
3	बेन्टम वेट	51 कि०ग्रा०	54 कि०ग्रा०	फ्लाइ वेट	50 कि०ग्रा०	52 कि०ग्रा०
4	फौदर वेट	54 कि०ग्रा०	57 कि०ग्रा०	बेन्टम वेट	52 कि०ग्रा०	54 कि०ग्रा०
5	लाइट वेट	57 कि०ग्रा०	60 कि०ग्रा०	फौदर वेट	54 कि०ग्रा०	57 कि०ग्रा०
6	लाइट वेल्टर वेट	60 कि०ग्रा०	63.5 कि०ग्रा०	लाइट वेट	57 कि०ग्रा०	60 कि०ग्रा०
7	वेल्टर वेट	63.5 कि०ग्रा०	67 कि०ग्रा०	लाइट वेल्टर वेट	60 कि०ग्रा०	63 कि०ग्रा०
8	लाइट मिडिल वेट	67 कि०ग्रा०	71 कि०ग्रा०	वेल्टर वेट	63 कि०ग्रा०	66 कि०ग्रा०

9	मिडिल वेट	71 कि०ग्रा०	75 कि०ग्रा०	लाइट मिडिल वेट	66 कि०ग्रा०	70 कि०ग्रा०
10	लाइट हैवी वेट	75 कि०ग्रा०	80 कि०ग्रा०	मिडिल वेट	70 कि०ग्रा०	75 कि०ग्रा०
11	कूशर वेट	80 कि०ग्रा०	86 कि०ग्रा०	लाइट हैवी वेट	75 कि०ग्रा०	81 कि०ग्रा०
12	हैवी वेट	86 कि०ग्रा०	92 कि०ग्रा०	हैवी वेट	81+	-
13	सुपर हैवी वेट	92+	-	-	-	-

सब-जूनियर, जूनियर एवं सीनियर वर्ग कुश्ती बालक एवं बालिका भार श्रेणी:-

कुश्ती सब-जूनियर फ्री-स्टाइल एवं ग्रीको रोमन वर्ग में भारश्रेणी:-

बालक:-फ्री-स्टाइल- 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 110 कि०ग्रा० = कुल- 10 भारश्रेणी।

बालक:-ग्रीकोरोमन स्टाइल- 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 110कि०ग्रा०=कुल- 10 भारश्रेणी।

बालिका पहलवान- 40, 43, 46, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73 कि०ग्रा०= कुल- 10 भारश्रेणी।

कुश्ती जूनियर एवं सीनियर वर्ग फ्री-स्टाइल एवं ग्रीको रोमन वर्ग में भारश्रेणी:-

बालक:-फ्री-स्टाइल- 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, व 125 कि०ग्रा० =कुल- 10 भारश्रेणी।

बालक:-ग्रीकोरोमन स्टाइल- 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97 व 130कि०ग्रा०=कुल-10 भारश्रेणी।

बालिका फ्री स्टाइल- 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72 व 76 कि०ग्रा०= कुल- 10 भारश्रेणी।

प्रदेश समन्वय जिम्नास्टिक सबजूनियर/ जूनियर/ सीनियर वर्ग बालक/बालिका इवेन्ट

बालक वर्ग- फ्लोर एक्सरसाइज, पॉमेल हॉर्स, रिंग्स, टेबल वॉल्ट, पैरेलल वार्स, हॉरीजेन्टल वार्स।

बालिका वर्ग- बेलेन्सिंग बीम, अन ईवन वार्स, टेबल वॉल्ट, फ्लोर एक्सरसाइज।

तैराकी- सबजूनियर एवं जूनियर बालक/बालिका वर्ग

इवेन्ट ग्रुप- I एवं ग्रुप- II

आयु वर्ग-

1- जूनियर ग्रुप- I 15 से 17 वर्ष तक 2- जूनियर ग्रुप- II 12 से 14 वर्ष तक

3- सबजूनियर ग्रुप- 10 से 11 वर्ष तक

1-फ्री स्टाइल- 50, 100, 200, 400, 800, 1500 मी०

2- बैक स्ट्रोक- 50, 100, 200 मी०

3-ब्रेस्ट स्ट्रोक- 50, 100, 200 मी०

4- बटरफलाई स्ट्रोक- 50, 100, 200 मी०

5- इनडिव्यूजल मिडले- 200, 400 मी०

6- रिले फ्री स्टाइल- 4×100, 4×200 मी०

7-रिले मिडले- 4×100 मी०

इवेन्ट ग्रुप- III

1- फ्री स्टाइल- 50, 100, 200, 400 मी०

2- बैक स्ट्रोक- 50, 100, मी०

3- ब्रेस्ट स्ट्रोक- 50, 100 मी०

4- बटरफलाई स्ट्रोक- 50, 100 मी०

5- इनडिव्यूजल मिडले- 200 मी०

6- रिले फ्री स्टाइल- 4×50 मी०

7- रिले मिडले- 4×50 मी०

सब जूनियर एवं जूनियर / सीनियर जूडो बालक/बालिका भार श्रेणी:-

सब जूनियर जूडो बालक/बालिका भार श्रेणी

ग्रुप-1 आयु वर्ग

बालक वर्ग

25 से -30 कि०ग्रा०

-35 कि०ग्रा०

-40 कि०ग्रा०

-45 कि०ग्रा०

+45 कि०ग्रा०

बालिका वर्ग

24 से -28 कि०ग्रा०

-32 कि०ग्रा०

-36 कि०ग्रा०

-40 कि०ग्रा०

+40 कि०ग्रा०

ग्रुप-2 आयु वर्ग

30 से -35 कि०ग्रा०

28 से -32 कि०ग्रा०

-40 कि०ग्रा०

-36 कि०ग्रा०

	-45 कि०ग्रा०		-40 कि०ग्रा०
	-50 कि०ग्रा०		-44 कि०ग्रा०
	+50 कि०ग्रा०		+44 कि०ग्रा०
युव आयु वर्ग			
45 से	-50 कि०ग्रा०	40 से	-44 कि०ग्रा०
	-55 कि०ग्रा०		-48 कि०ग्रा०
	-60 कि०ग्रा०		-52 कि०ग्रा०
	-66 कि०ग्रा०		-57 कि०ग्रा०
	+66 कि०ग्रा०		+57 कि०ग्रा०

जूनियर एवं सीनियर जूडो बालक/बालिका भार श्रेणी

बालक वर्ग

- 55 कि०ग्रा०
- 60 कि०ग्रा०
- 66 कि०ग्रा०
- 73 कि०ग्रा०
- 81 कि०ग्रा०
- 90 कि०ग्रा०
- 100कि०ग्रा०
- +100कि०ग्रा०

बालिका वर्ग

- 44 कि०ग्रा०
- 48 कि०ग्रा०
- 52 कि०ग्रा०
- 57 कि०ग्रा०
- 63 कि०ग्रा०
- 70 कि०ग्रा०
- 78 कि०ग्रा०
- +78 कि०ग्रा०

नोट:- एक इवेंट्स में एक खिलाड़ी एवं एक भार श्रेणी में एक खिलाड़ी ही प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे।

प्रत्येक जनपद में स्व0 ध्यानचन्द जी के जन्म दिवस 29 अगस्त को आयोजित होने वाली 'स्पोर्ट्स डे' हाकी प्रतियोगिता के मानक

(जून, 2024 से प्रभावी)

क्र0 स्व0	खेल का नाम	एक टीम में मैनेजर सहित खिलाड़ियों की संख्या	निर्णायकों की संख्या	निर्णायक को पुरस्कार	खिलाड़ियों एवं मैनेजर को पुरस्कार	उपकरण (हाकी बाल)	उद्घाटन एवं समापन पर व्यय	विविध व्यय (दवाइय, प्रमाण- पत्र, फोटोग्राफी आदि)
1	हाकी (14 वर्ष से कम आयु के स्कूली बालक)	16+01 = 17	08	रु0 600/- प्रति निर्णायक की दर से	1-विजेता टीम को रु0 700/-प्रति खिलाड़ी की दर से। 2-उप विजेता टीम को रु0 600/- प्रति खिलाड़ी की दर से।	2,500/-	3,000/-	3,000/-

नोट:-

- 1- निर्णायकों एवं खिलाड़ियों को उपरोक्त अंकित पुरस्कार प्रति सदस्य की दर से अनुमन्य होंगे।
- 2- उक्त प्रतियोगिता में जनपदीय मुख्यालय पर कम से कम 06 टीमों तथा मण्डलीय मुख्यालय पर कम से कम 08 टीमों का भाग लेना अनिवार्य है।

(डा0 आर0पी0 सिंह)-
निदेशक, खेल।

जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं पर होने वाले व्यय के निर्धारित मानक (माह जून, 2024 से प्रभावी)

क्र० सं०	खेल का नाम	एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या, मैनेजर सहित (बा०/बालिका में)	निर्णायकों की संख्या	निर्णायकों को पुरस्कार रू०	खिलाड़ियों को पुरस्कार			कीड़ा उपकरण रू०	विविध व्यय रू०
					प्रथम	द्वितीय	तृतीय		
1	एथलेटिक्स (बालक/बालिका)	12+12+1	10	600/-	700/-	600/-	500/-	1000/-	4,000/-
2	बैडमिन्टन (बालक/बालिका)	6+6+1	08	600/-	700/-	600/-	500/-	पाउडर हेतु 4,000/-	4,000/-
3	जिम्नास्टिक (बालक/बालिका)	6+6+1	08	600/-	700/-	600/-	500/-	1,000/-	4,000/-
4	तैराकी (बालक/बालिका)	8+8+1	08	600/-	700/-	600/-	500/-	पाउडर हेतु -	4,000/-
5	टेबुल-टेनिस (बालक/बालिका)	6+6+1	08	600/-	700/-	600/-	500/-	3,000/-	4,000/-
6	टेनिस (बालक/बालिका)	6+6+1	08	600/-	700/-	600/-	500/-	4,000/-	4,000/-
7	बान्स्केटबाल (बालक/बालिका)	12+12+1	10	600/-	700/-	600/-	500/-	3,000/-	4,000/-
8	हैण्डबाल (बालक/बालिका)	12+12+1	10	600/-	700/-	600/-	500/-	3,000/-	4,000/-
9	जूडो (बालक/बालिका)	10+10+1	10	600/-	700/-	600/-	500/-	-	4,000/-
10	कुश्ती (बालक/बालिका)	10+05+1	10	600/-	700/-	600/-	500/-	-	4,000/-
11	बार्सिंग (बालक/बालिका)	10+10+1	10	600/-	700/-	600/-	500/-	-	4,000/-
12	फुटबाल (बालक/बालिका)	16+16+1	10	600/-	700/-	600/-	500/-	3,000/-	4,000/-
13	वालीबाल (बालक/बालिका)	12+12+1	10	600/-	700/-	600/-	500/-	3,000/-	4,000/-
14	हाकी (बालक/बालिका)	16+16+1	10	600/-	700/-	600/-	500/-	3,000/-	4,000/-
15	खो-खो (बालक/बालिका)	12+12+1	10	600/-	700/-	600/-	500/-	-	4,000/-
16	कबड्डी (बालक/बालिका)	12+12+1	10	600/-	700/-	600/-	500/-	-	4,000/-
17	भारोत्तोलन (बालक/बालिका)	10+10+1	10	600/-	700/-	600/-	500/-	1,000/-	4,000/-
18	पावरलिफ्टिंग (बालक+बालिका)	8+8+1	10	600/-	700/-	600/-	500/-	पाउडर हेतु 1,000/-	4,000/-
19	ताइक्वाण्डो (बालक/बालिका)	10+10+1	10	600/-	700/-	600/-	500/-	पाउडर हेतु -	4,000/-
20	फोन्सिंग (बालक/बालिका)	10+10+1	10	600/-	700/-	600/-	500/-	-	4,000/-
21	नेटबाल (बालक/बालिका)	12+12+1	10	600/-	700/-	600/-	500/-	3,000/-	4,000/-

22	टीरदांजी (बालक/बालिका)	10+10+1	10	600/-	700/-	600/-	500/-	-	4,000/-
23	क्रिकेट बालक	16+1	03 प्रतिमैत्र	600/-	700/-	600/-	500/-	3,000/-	4,000/-

नोट:-

- 1- निर्णायकों एवं स्थिरलाड़ियों को उपरोक्त अंकित पुरस्कार प्रति सदस्य की दर से अनुमन्य होंगे।
- 2- जिला स्तरीय प्रतियोगिता में मण्डलीय मुख्यालय पर कम से कम 08 टीमों, जनपदीय मुख्यालय पर कम से कम 06 टीमों तथा व्यक्तिगत स्तरों में मण्डलीय मुख्यालय पर कम से कम 75 तथा जनपदीय मुख्यालयों पर कम से कम 50 प्रतिभागियों का भाग लेना अनिवार्य है। अन्यथा प्रतियोगिता आयोजित न करायी जाये।
- 3- जिला स्तरीय प्रतियोगिता में उपकरण मद पर स्थानीय प्रशिक्षण शिविर हेतु कथ किये जाने वाले उपकरणों से ही प्रतियोगिता आयोजित करायी जायेगी। प्रतियोगिता मद से व्यय न किया जाय, यदि सम्बन्धित खेल में प्रशिक्षण शिविर संवाहित न हो रहा हो तो निर्धारित धनराशि उपकरण मद से व्यय की जाये।

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(डा० आर०पी० सिंह)
निदेशक, खेल।

महिलाओं की प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताओं के खेलवार व्ययों के निर्धारित संशोधित मानक (मार्च जून, 2024 से प्रभावी)

क्र० सं०	खेल का नाम	एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या एवं मैनेजर की संख्या	प्रतियोगिता हेतु निर्धारित दिवस	निर्णायकों की संख्या	खिलाड़ियों व मैनेजर को पुरस्कार पर व्यय रू० में	स्थानीय निर्णायकों पर व्यय (क्वालिफाइड)	खिलाड़ियों एवं टीम मैनेजरों को दैनिक भत्ता पर व्यय रू० में (नाश्ता व भोजन व्यवस्था हेतु)	आवासीय व्यवस्था पर व्यय रू० में	क्रीड़ा उपकरणों पर व्यय रू० में (शटल काक,बाल, नेट,टेक्नीकल टेबुल सम्बन्धी उपकरण आदि)	विविध व्यय (फर्नीचर,परिवहन, शामियाना, उद्घाटन,समापन, जलपान, फोटोग्राफी आदि)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	एथलेटिक्स	15+1	02	12						
2	बैडमिन्टन	6+1	02	08					1,500/- पाउडर हेतु	45,000/-
3	बार्स्केटबाल	12+1	03	10					15,000/-	45,000/-
4	जिम्नास्टिक	5+1	02	08					10,000/-	45,000/-
5	हैण्डबाल	12+1	03	08					10,000/-	45,000/-
6	हॉकी	16+1	03	10					10,000/-	45,000/-
7	कबड्डी	12+1	03	08					10,000/-	45,000/-
8	खो-खो	12+1	03	08					-	45,000/-
9	वालीबाल	12+1	03	08					-	45,000/-
10	टेबुल-टेनिस	6+1	02	08					10,000/-	45,000/-
11	तैराकी	11+1	02	10					10,000/-	45,000/-
12	टेनिस	6+1	02	08					15,000/-	45,000/-

1- व्यक्तिगत खेलों में प्रथम रू०1,000/-, द्वितीय रू० 800/- तथा तृतीय रू० 600/-प्रति सदस्य की दर से ।
2- टीम गेम में विजेता टीम के सदस्यों को रू० 1,000/-प्रति सदस्य तथा उप विजेता टीम को सदस्यों को रू० 800/- प्रति सदस्य की दर से।

1-पुरस्कार रू० 600/- प्रति निर्णायक की दर से।
2-रू० 600/-प्रतिदिन प्रति सदस्य की दर से दैनिक भत्ता प्रतियोगिता के वास्तविक दिवसों हेतु ।
3-कन्वेन्स चार्जज रू० 300/-प्रतिदिन प्रति निर्णायक की दर से।

1- रू० 375/-प्रतिदिन प्रति सदस्य की दर से प्रतियोगिता से एक दिन पूर्व दैनिक भत्ते की सुविधा सहित।
2- 400कि०मी०से अधिक की दूरी से भाग लेने वाली टीमों को एक अतिरिक्त दैनिक भत्ता की सुविधा देय होगा।

आवासीय व्यवस्था पर रू० 177/- (गद्दा, चादर, रजाई, बेड आदि) प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी की दर से अनुमन्य यदि स्टेडियम परिसर से बाहर आवास हेतु धर्मशाला/होटल आदि आरक्षित किया जाता है तो किराये हेतु रू० 118/-प्रतिसदस्य, प्रतिदिन अतिरिक्त अनुमन्य। (जी०एस०टी० सहित) आदि पर

नोट:-

1-

एथलेटिक्स/जिम्नास्टिक/तैराकी की प्रतियोगितायें नाक आउट के आधार पर तथा शेष खेलों की प्रतियोगिताएँ लीग-कम-नाक आउट के आधार पर आयोजित की जायेगी।

2-

महिला प्रतियोगिताओं के इवेंट्स:- एथलेटिक्स:-

100मी०, 200मी०, 400मी०, 800मी०, 1500मी०, 3000मी०, 100मी० रॉडन्स,

खेल निदेशालय, उ०प्र० एवं प्रदेशीय क्रीडा संघों के समन्वय से आयोजित होने वाली प्रदेश स्तरीय बालक/बालिका सब-जुनियर/जूनियर/सीनियर वर्ग प्रतियोगिताओं के आयोजन पर होने वाले व्यय के संशोधित मानक (माह जून, 2024 से प्रभावी)

क्र० सं०	खेल का नाम	एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या एवं मैनेजर की संख्या बा./बालि./मैन०	प्रतियोगिता हेतु निर्धारित दिवस	निर्णायकों की संख्या	खिलाड़ियों व मैनेजर को पुरस्कार पर व्यय रू० में	निर्णायकों के पुरस्कार पर व्यय	खिलाड़ियों एवं टीम मैनेजरों को दैनिक भत्ता पर व्यय रू० में (नाश्ता व भोजन व्यवस्था हेतु)	आवासीय व्यवस्था पर व्यय रू० में	क्रीडा उपकरणों पर व्यय रू० में (शटल काक, बाल, नेट, टेक्नीकल टेबुल सम्बन्धी उपकरण आदि)	विविध व्यय (फर्नीचर, परिवहन, शामियाना, उद्घाटन, समापन, जलपान, फोटोग्राफी आदि रू० में)
1	एथलेटिक्स सब-जूनियर/सीनियर	15+14+2 20+20+2 20+20+2	02	15					2,000/- पाउडर हेतु	50,000/-
2	बाक्सिंग सब-जूनियर	14+14+2 13+13+2 13+12+2	04	12						50,000/-
3	फुटबाल	16+16+1	08	12						50,000/-
4	हॉकी	16+16+1	06	12						50,000/-
5	कबड्डी	12+12+1	03	20						50,000/-
6	बालीबाल	12+12+1	04	12						50,000/-
7	हैण्डबाल	12+12+1	04	12						50,000/-
8	बैडमिन्टन सब-जूनियर, सीनियर	06+06+1	03	10						50,000/-
9	जूडो सब-जूनियर, जूनियर, सीनियर	15+15+2 08+08+2 08+08+2	03	20						50,000/-
10	तैराकी सब-जूनियर, जूनियर, तैराकी सीनियर	10+10+2 20+20+2	04	25						50,000/-
		20+20+2	03	20						50,000/-

1- व्यक्तिगत खेलों में प्रथम रू० 1,000/-, द्वितीय रू० 800/- तथा तृतीय रू० 600/- प्रति सदस्य की दर से।
2- टीम गेम में विजेता टीम के सदस्यों को रू० 1,000/- प्रति सदस्य तथा उप विजेता टीम को सदस्यों को रू० 800/- प्रति सदस्य की दर से।

1- पुरस्कार रू० 600/- प्रति निर्णायक की दर से।

1- रू० 375/- प्रतिदिन प्रति सदस्य की दर से प्रतियोगिता से एक दिन पूर्व दैनिक भत्ते की सुविधा सहित।
2- 400कि०मी० से अधिक की दूरी से भाग लेने वाली टीमों को एक अतिरिक्त दैनिक भत्ता की सुविधा देय होगा।

आवासीय व्यवस्था पर रू० 177/- (गद्दा, चादर, रजाई, बेड आदि) प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी की दर से अनुमन्य यदि स्टेडियम परिसर से बाहर आवास हेतु धर्मशाला/होटल आदि आरक्षित किया जाता है तो किराये हेतु रू० 118/- प्रति सदस्य, प्रतिदिन अतिरिक्त अनुमन्य। (जी०एस०टी० सहित)

परिशिष्ट- 'क'

ओपेन स्टेट आमंत्रण कबड्डी एवं खो-खो प्रतियोगिता के आयोजन हेतु व्ययों का मानक

(जून, 2024 से प्रभावी)

क्र०स०	व्यय की मदें	घनराशि रू० में
1-	द्वितीय श्रेणी रेल किराया (कन्सेशन के आधार पर)/बस किराया जहां अनुमन्य हो (दोनों ओर का)	द्वितीय श्रेणी स्लीपर क्लास रेल किराया आरक्षण सहित/बस किराया।
2-	अनुसागिक व्यय-	रू० 200/- प्रति सदस्य की दर से
3-	दैनिक भत्ता (एक दिन पूर्व की सुविधा सहित)-	दर रू० 375/- प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी की दर से (नाश्ता एवं भोजन की व्यवस्था हेतु)
4-	आवासीय व्यवस्था पर व्यय- (बेड, चादर, गद्दा, चादर, रजाई, धर्मशाला आदि पर व्यय किया जायेगा)	आवासीय व्यवस्था रू० 177/- (गद्दा, चादर, रजाई, बेड आदि) प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी की दर से अनुमन्य यदि स्टेडियम परिसर से बाहर आवास हेतु धर्मशाला/होटल आदि आरक्षित किया जाता है तो किराये हेतु रू० 118/- प्रतिदिन, प्रति सदस्य की दर से अतिरिक्त अनुमन्य। (जी०एस०टी० सहित)
5-	पुरस्कार पर व्यय:- (प्रति खेल) 1-प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को-- 2-द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को--	रू० 1,000-00 प्रति खिलाड़ी रू० 800-00 प्रति खिलाड़ी
6-	निर्णायको के टी०ए०/डी०ए० आदि पर होने वाला व्यय-	मानक परिशिष्ट-ख पर सलग्न है।
7-	क्रीड़ा उपकरणों पर व्यय --	-
8-	विविधव्यय- (फर्नीचर, परिवहन, शामियाना, उद्घाटन, समापन, आफिसियल्स/ मीडिया को नित्य दिन दिये जाने वाला जलपान, माइक, दवाइयां, फोटोग्राफी बैनर, प्रचार-प्रसार आदि)	रू० 50,000/- प्रति खेल
9-	प्रदेशीय संघों को सम्बद्धता शुल्क---	देय नहीं है।

::अन्य दिशा निर्देशः:

- 1- प्रतियोगिता की अवधि एवं स्वरूप:- 03 दिवस/ लीग-कम-नाकआउट के आधार पर।
- 2- प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीम की संख्या:- 10 टीम (जिसमें 01 स्थानीय टीम)।
- 3- एक टीम में खिलाड़ियों/मैनेजर की संख्या:- 12+01=13 सदस्य ।
- 4- प्रतियोगिता के आयोजन की तिथियों का निर्धारण-प्रदेशीय संघ के परामर्श से।
- 5- स्थानीय टीम को केवल खेल के दिवसों में दैनिक भत्ते की सुविधा अनुमन्य होगी।
- 6- एक दिन पूर्व दैनिक भत्ते की सुविधा तभी ही दी जाये जब वे वास्तव में प्रतियोगिता के एक दिन पूर्व आयोजन स्थल पर उपस्थित हो तथा 400कि०मी० से अधिक की दूरी से आने वाली टीमों को एक दिन बाद की सुविधा प्रदान की जायं।
- 7- उन मण्डलों में पड़ने वाले स्पोर्ट्स कालेज/छात्रावास को भी आमंत्रित किया जाय और पुष्टि होने पर ही उन्हें प्रतियोगिता में सम्मिलित किया जायं।

(डा० आर०पी० सिंह)
निदेशक, खेल

परिशिष्ट- 'क'

ओपेन स्टेट आमंत्रण हेण्डबाल,वालीबाल,बास्केटबाल एवं नेटबाल प्रतियोगिता के आयोजन हेतु व्ययों का मानक
(जून, 2024 से प्रभावी)

क्र०स०	व्यय की मदें	धनराशि रू० में
1-	द्वितीय श्रेणी रेल किराया (कन्सेशन के आधार पर)/बस किराया जहां अनुमन्य हो (दोनों ओर का)	द्वितीय श्रेणी स्लीपर क्लास रेल किराया आरक्षण सहित/बस किराया।
2-	अनुसांगिक व्यय-	रू० 200/- प्रति सदस्य की दर से
3-	दैनिक भत्ता (एक दिन पूर्व की सुविधा सहित)-	दर रू० 375/- प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी की दर से (नारता एवं भोजन की व्यवस्था हेतु)
4-	आवासीय व्यवस्था पर व्यय- (बेड,चादर,गद्दा,चादर,रजाई,धर्मशाला आदि पर व्यय किया जायेगा)	आवासीय व्यवस्था रू० 177/- (गद्दा, चादर, रजाई, बेड आदि) प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी की दर से अनुमन्य यदि स्टेडियम परिसर से बाहर आवास हेतु धर्मशाला/होटल आदि आरक्षित किया जाता है तो किराये हेतु रू० 118/- प्रतिदिन, प्रति सदस्य की दर से अतिरिक्त अनुमन्य। (जी०एस०टी० सहित)
5-	पुरस्कार पर व्यय:- (प्रति खेल) 1-प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को-- 2-द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को--	रू० 1,000-00 प्रति खिलाड़ी रू० 800-00 प्रति खिलाड़ी
6-	निर्णायको के टी०ए०/डी०ए० आदि पर होने वाला व्यय-	मानक परिशिष्ट-ख पर सलंगन है।
7-	क्रीड़ा उपकरणों पर व्यय -- (वाल, नेट, टेक्नीकल टेबुल सम्बन्धी उपकरण आदि)	रू० 15,000/- प्रति खेल
8-	विविध व्यय- (फर्नीचर, परिवहन, शामियाना, उद्घाटन, समापन, आफिसियल्स/ मीडिया को नित्य दिन दिये जाने वाला जलपान, माइक, दवाइयां,फोटोग्राफी, बैनर, प्रचार-प्रसार आदि)	रू० 50,000/- प्रति खेल
9-	प्रदेशीय संघों को सम्बद्धता शुल्क--	देय नहीं है।

::अन्य दिशा निर्देशः:

- 1- प्रतियोगिता की अवधि एवं स्वरूप:- 03 दिवस/ लीग-कम-नाकआउट के आधार पर।
- 2- प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीम की संख्या:- 10 टीम (जिसमें 01 स्थानीय टीम)।
- 3- एक टीम में खिलाड़ियों/मैनेजर की संख्या:- 12+01=13 सदस्य ।
- 4- प्रतियोगिता के आयोजन की तिथियों का निर्धारण-प्रदेशीय संघ के परामर्श से।
- 5- स्थानीय टीम को केवल खेल के दिवसों में दैनिक भत्ते की सुविधा अनुमन्य होगी।
- 6- एक दिन पूर्व दैनिक भत्ते की सुविधा तभी ही दी जाये जब वे वास्तव में प्रतियोगिता के एक दिन पूर्व आयोजन स्थल पर उपस्थित हो तथा 400कि०मी० से अधिक की दूरी से आने वाली टीमों को एक दिन बाद की सुविधा प्रदान की जायं।
- 7- उन मण्डलों में पड़ने वाले स्पोर्ट्स कालेज/छात्रावास को भी आमंत्रित किया जाय और पुष्टि होने पर ही उन्हें प्रतियोगिता में सम्मिलित किया जायं।

(डा० आर०पी० सिंह)
निदेशक, खेल।

परिशिष्ट- 'क'

ओपेन स्टेट आमंत्रण तैराकी बालक/बालिका प्रतियोगिता के आयोजन हेतु व्ययों का मानक

(जून, 2024 से प्रभावी)

क्र०स०	व्यय की मदें	घनराशि रू० में
1-	द्वितीय श्रेणी रेल किराया (कन्सेशन के आधार पर)/बस किराया जहां अनुमन्य हो (दोनों ओर का)	द्वितीय श्रेणी स्लीपर क्लास रेल किराया आरक्ष सहित/बस किराया।
2-	अनुसार्गिक व्यय-	रू० 200/- प्रति सदस्य की दर से
3-	दैनिक भत्ता (एक दिन पूर्व की सुविधा सहित)-	दर रू० 375/- प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी की दर से (नाश्ता एवं भोजन की व्यवस्था हेतु)
4-	आवासीय व्यवस्था पर व्यय- (बेड, चादर, गद्दा, चादर, रजाई, धर्मशाला आदि पर व्यय किया जायेगा)	आवासीय व्यवस्था रू० 177/- (गद्दा, चादर, रजाई बेड आदि) प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी की दर से अनुमन्य यदि स्टेडियम परिसर से बाहर आवास हेतु धर्मशाला/होटल आदि आरक्षित किया जाता है त किराये हेतु रू० 118/- प्रतिदिन, प्रति सदस्य की दर से अतिरिक्त अनुमन्य। (जी०एस०टी० सहित)
5-	पुरस्कार पर व्यय:- (प्रति खेल) 1-प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को-- 2-द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को-- 3-तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को--	रू० 1,000-00 प्रति खिलाड़ी रू० 800-00 प्रति खिलाड़ी रू० 600-00 प्रति खिलाड़ी
6-	निर्णायकों के टी०ए०/डी०ए० आदि पर होने वाला व्यय-	मानक परिशिष्ट-ख पर सलग्न है।
7-	क्रीड़ा उपकरणों पर व्यय -	-
8-	विविध व्यय- (फर्नीचर, परिवहन, शामियाना, उद्घाटन, समापन, आफिसियल्स/मीडिया को नित्य दिन दिये जाने वाला जलपान, माइक, दवाइयां, फोटोग्राफी, बैनर, प्रचार-प्रसार आदि)	रू० 50,000/-
9-	प्रदेशीय संघों को सम्बद्धता शुल्क--	देय नहीं है।

::अन्य दिशा निर्देशः::

- 1- प्रतियोगिता की अवधि एवं स्वरूप:- 02 दिवस/ 15 इवेंट्स (संघ द्वारा निर्धारित)।
- 2- प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीम की संख्या:- बेस्ट 10 प्रति इवेंट्स(बालक/बालिका) रिले सहित
- 3- एक टीम में खिलाड़ियों/मैनेजर की संख्या:- 10 टीमों/ 20+1 मैनेजर ।
- 4- प्रतियोगिता के आयोजन की तिथियों का निर्धारण-प्रदेशीय संघ के परामर्श से।
- 5- स्थानीय टीम को केवल खेल के दिवसों में दैनिक भत्ते की सुविधा अनुमन्य होगी।
- 6- एक दिन पूर्व दैनिक भत्ते की सुविधा तभी ही दी जाये जब वे वास्तव में प्रतियोगिता के एक दिन पूर्व आयोजन स्थल पर उपस्थित हो तथा 400कि०मी० से अधिक की दूरी से आने वाली टीमों को एक दिन बाद की सुविधा प्रदान की जायं।
- 7- उन मण्डलों में पड़ने वाले स्पोर्ट्स कालेज/छात्रावास को भी आमंत्रित किया जाय और पुष्टि होने पर ही उन्हें प्रतियोगिता में सम्मिलित किया जायं।

(डा० आर०पी० सिंह)
निदेशक, खेल।

परिशिष्ट- 'क'

ओपेन स्टेट आमंत्रण क्रिकेट प्रतियोगिता के आयोजन हेतु व्ययों का मानक

(जून 2024 से प्रभावी)

क्र०स०	व्यय की मदें	धनराशि रू० में
1-	द्वितीय श्रेणी रेल किराया (कन्सेशन के आधार पर) /बस किराया जहां अनुमन्य हो (दोनों ओर का)	द्वितीय श्रेणी स्लीपर क्लास रेल किराया आरक्षण सहित/बस किराया।
2-	अनुसांगिक व्यय-	रू० 200/- प्रति सदस्य की दर से
3-	दैनिक भत्ता (एक दिन पूर्व की सुविधा सहित)-	दर रू० 375/- प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी की दर से (नाश्ता एवं भोजन की व्यवस्था हेतु)
4-	आवासीय व्यवस्था पर व्यय- (बेड,चादर,गद्दा,चादर,रजाई,धर्मशाला आदि पर व्यय किया जायेगा)	आवासीय व्यवस्था रू० 177/- (गद्दा, चादर, रजाई, बेड आदि) प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी की दर से अनुमन्य यदि स्टेडियम परिसर से बाहर आवास हेतु धर्मशाला/होटल आदि आरक्षित किया जाता है तो किराये हेतु रू० 118/- प्रतिदिन, प्रति सदस्य की दर से अतिरिक्त अनुमन्य। (जी०एस०टी० सहित)
5-	पुरस्कार पर व्यय:- (प्रति खेल) 1-प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को-- 2-द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को--	रू० 1,000-00 प्रति खिलाड़ी रू० 800-00 प्रति खिलाड़ी
6-	निर्णायकों के टी०ए०/डी०ए० आदि पर होने वाला व्यय-	मानक परिशिष्ट-ख पर सलंगन है।
7-	क्रीड़ा उपकरणों पर व्यय -- (क्रिकेट बाल, स्कोर शीट टेक्नीकल टेबुल सम्बन्धी उपकरण आदि)	रू० 15,000/-
8-	विविध व्यय- (फर्नीचर, परिवहन, शामियाना, उद्घाटन, समापन,आफिसियल्स/मीडिया को नित्य दिन दिये जाने वाला जलपान, माइक, दवाइयां,फोटोग्राफी, बैनर, प्रचार-प्रसार आदि)	रू० 50,000/- प्रति
9-	प्रदेशीय संघों को सम्बद्धता शुल्क--	देय नहीं है।

::अन्य दिशा निर्देशः:

- 1- प्रतियोगिता की अवधि एवं स्वरूप:- 07 दिवस/ लीग-कम-नाकआउट के आधार पर।
- 2- प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीम की संख्या:- 10 टीम (जिसमें 01 स्थानीय टीम)।
- 3- एक टीम में खिलाड़ियों/मैनेजर की संख्या:- 16+01=17 सदस्य ।
- 4- प्रतियोगिता के आयोजन की तिथियों का निर्धारण-प्रदेशीय संघ के परामर्श से।
- 5- स्थानीय टीम को केवल खेल के दिवसों में दैनिक भत्ते की सुविधा अनुमन्य होगी।
- 6- एक दिन पूर्व दैनिक भत्ते की सुविधा तभी ही दी जाये जब वे वास्तव में प्रतियोगिता के एक दिन पूर्व आयोजन स्थल पर उपस्थित हो तथा 400कि०मी० से अधिक की दूरी से आने वाली टीमों को एक दिन बाद की सुविधा प्रदान की जायं।
- 7- उन मण्डलों में पड़ने वाले स्पोर्ट्स कालेज/छात्रावास को भी आमंत्रित किया जाय और पुष्टि होने पर ही उन्हें प्रतियोगिता में सम्मिलित किया जायं।







(डा० आर०पी० सिंह)
निदेशक, खेल।

परिशिष्ट- 'क'

ओपेन स्टेट आमंत्रण शूटिंग प्रतियोगिता के आयोजन हेतु व्ययों के मानक (जून, 2024 से प्रभावी)

क्र०स०	व्यय की मदें	घनराशि रू० में
1-	द्वितीय श्रेणी रेल किराया (कन्सेशन के आधार पर)/बस किराया जहां अनुमन्य हो (दोनों ओर का)	द्वितीय श्रेणी स्लीपर क्लास रेल किराया आरक्षण सहित/बस किराया।
2-	अनुसांगिक व्यय-	रू० 200/- प्रति सदस्य की दर से
3-	दैनिक भत्ता (एक दिन पूर्व की सुविधा सहित)-	दर रू० 375/- प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी की दर से(नाश्ता एवं भोजन की व्यवस्था हेतु)
4-	आवासीय व्यवस्था पर व्यय- (वेड,चादर,गद्दा,चादर,रजाई,धर्मशाला आदि पर व्यय किया जायेगा)	आवासीय व्यवस्था रू० 177/- (गद्दा, चादर, रजाई, बेड आदि) प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी की दर से अनुमन्य यदि स्टेडियम परिसर से बाहर आवास हेतु धर्मशाला/होटल आदि आरक्षित किया जाता है तो किराये हेतु रू० 118/- प्रतिदिन, प्रति सदस्य की दर से अतिरिक्त अनुमन्य। (जी०एस०टी० सहित)
5-	पुरस्कार पर व्यय:- (प्रति खेल) 1-प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को-- 2-द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को-- 3-तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को--	रू० 1,000-00 प्रति खिलाड़ी रू० 800-00 प्रति खिलाड़ी रू० 600-00 प्रति खिलाड़ी
6-	निर्णायकों के टी०ए०/डी०ए० आदि पर होने वाला व्यय-	मानक परिशिष्ट-ख पर सलग्न है।
7-	कीड़ा उपकरणों पर व्यय -	15,000/-
8-	विविध व्यय- (फर्नीचर, परिवहन, शामियाना, उद्घाटन, समापन,आफिसियल्स/मीडिया को नित्य दिन दिये जाने वाला जलपान, माइक, दवाइयां,फोटोग्राफी, बैनर, प्रचार-प्रसार आदि)	रू० 50,000/-
9-	प्रदेशीय संघों को सम्बद्धता शुल्क--	देय नहीं है।

::अन्य दिशा निर्देशः::

- 1- प्रतियोगिता की अवधि एवं स्वरूप:- 02 दिवस/नाक आउट के आधार पर ।
- 2- प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीम की संख्या:- 10 टीमों (जिसमें 01 स्थानीय टीम)
- 3- एक टीम में खिलाड़ियों/मैनेजर की संख्या:- 10+1=11 सदस्य ।
(5पुरुष+5महिला+1मैनेजर)
- 4- इवेंट्स- 1 प्वाइन्ट-टू-टू बोर रायफल शूटिंग-लेटकर,बैठकर,खड़े होकर-पुरुष/महिला ओपेन सीनियर वर्ग एवं बालक/बालिका जूनियर वर्ग (अण्डर-18) व्यक्तिगत टीम चैम्पियनशिप/ 2-एयर रायफल-10 मी०- पुरुष/महिला ओपेन सीनियर वर्ग एवं बालक/बालिका जूनियर वर्ग (अण्डर-18) व्यक्तिगत टीम, चैम्पियनशिप/ 3-क्लेपिजन टैप शूटिंग-पुरुष/महिला ओपेन सीनियर वर्ग व्यक्तिगत,टीम चैम्पियनशिप/ 4-डबल टैप शूटिंग-पुरुष ओपेन सीनियर वर्ग व्यक्तिगत टीम चैम्पियनशिप/5- सेटर फायर/रिम फायर- रिवाल्वर शूटिंग-10शाट- व्यक्तिगत,टीम चैम्पियनशिप।
- 5- प्रतियोगिता के आयोजन की तिथियों का निर्धारण-प्रदेशीय संघ के परामर्श से।
- 6- स्थानीय टीम को केवल खेल के दिवसों में दैनिक भत्ते की सुविधा अनुमन्य होगी।
- 7- एक दिन पूर्व दैनिक भत्ते की सुविधा तभी ही दी जाये जब वे वास्तव में प्रतियोगिता के एक दिन पूर्व आयोजन स्थल पर उपस्थित हो तथा 400कि०मी० से अधिक की दूरी से आने वाली टीमों को एक दिन बाद की सुविधा प्रदान की जाय।
- 8- संघ के परामर्श से टीमों को आमंत्रित किया जाय।

(डा० आर०पी० सिंह)
निदेशक, खेल।

परिशिष्ट- "क"

ओपेन स्टेट आमंत्रण एथलेटिक्स बालक/बालिका प्रतियोगिता के आयोजन हेतु व्ययों का मानक

(जून, 2024 से प्रभावी)

क्र०स०	व्यय की मदें	धनराशि रू० में
1-	द्वितीय श्रेणी रेल किराया (कन्सेशन के आधार पर)/बस किराया जहां अनुमन्य हो (दोनों ओर का)	द्वितीय श्रेणी स्लीपर क्लास रेल किराया आरक्षण सहित/बस किराया।
2-	अनुसागिक व्यय-	रू० 200/- प्रति सदस्य की दर से
3-	दैनिक भत्ता (एक दिन पूर्व की सुविधा सहित)-	दर रू० 375/- प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी की दर से (नाश्ता एवं भोजन की व्यवस्था हेतु)
4-	आवासीय व्यवस्था पर व्यय- (बेड, चादर, गद्दा, चादर, रजाई, धर्मशाला आदि पर व्यय किया जायेगा)	आवासीय व्यवस्था रू० 177/- (गद्दा, चादर, रजाई, बेड आदि)- प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी की दर से अनुमन्य यदि स्टेडियम परिसर से बाहर आवास हेतु धर्मशाला/होटल आदि आरक्षित किया जाता है तो किराये हेतु रू० 118/- प्रतिदिन, प्रति सदस्य की दर से अतिरिक्त अनुमन्य। (जी०एस०टी० सहित)
5-	पुरस्कार पर व्यय:- (प्रति खेल) 1-प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को-- 2-द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को-- 3-तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को--	रू० 1,000-00 प्रति खिलाड़ी रू० 800-00 प्रति खिलाड़ी रू० 600-00 प्रति खिलाड़ी
6-	निर्णायको के टी०ए०/डी०ए० आदि पर होने वाला व्यय-	मानक परिशिष्ट-ख पर सलग्न है।
7-	क्रीड़ा उपकरणों पर व्यय -	-
8-	विविध व्यय- (फर्नीचर, परिवहन, शामियाना, उद्घाटन, समापन, आफिसियल्स/मीडिया को नित्य दिन दिये जाने वाला जलपान, माइक, दवाइयां, फोटोग्राफी, बैनर, प्रचार-प्रसार आदि)	रू० 50,000/-
9-	प्रदेशीय संघों को सम्बद्धता शुल्क--	देय नहीं है।

::अन्य दिशा निर्देशः::

- 1- प्रतियोगिता की अवधि एवं स्वरूप:- 02 दिवस/ 20 इवेंट्स (संघ द्वारा निर्धारित)।
- 2- प्रतियोगिता में भाग लेने वाले एथलेटिक्स की संख्या- बेस्ट-06 (प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ-6 एथलेटिक्स प्रत्येक इवेंट्स में) जिसका निर्धारण एवं नाम अवै०सचिव उ०प्र०एथलेटिक्स संघ द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
- 3- एक टीम में खिलाड़ियों/मैनेजर की संख्या:- -
- 4- प्रतियोगिता के आयोजन की तिथियों का निर्धारण-प्रदेशीय संघ के परामर्श से।
- 5- स्थानीय टीम को केवल खेल के दिवसों में दैनिक भत्ते की सुविधा अनुमन्य होगी।
- 6- एक दिन पूर्व दैनिक भत्ते की सुविधा तभी ही दी जाये जब वे वास्तव में प्रतियोगिता के एक दिन पूर्व आयोजन स्थल पर उपस्थित हो तथा 400कि०मी० से अधिक की दूरी से आने वाली टीमों को एक दिन बाद की सुविधा प्रदान की जाय।
- 7- उन मण्डलों में पढ़ने वाले स्पोर्ट्स कालेज/छात्रावास को भी आमंत्रित किया जाय और पुष्टि होने पर ही उन्हें प्रतियोगिता में सम्मिलित किया जाय।







(डा० आर०पी० सिंह)
निदेशक, खेल।


परिशिष्ट- 'क'

ओपेन स्टेट आमंत्रण बैडमिन्टन, टेनिस, टेबुल-टेनिस प्रतियोगिता के आयोजन हेतु व्ययों का मानक
(जून, 2024 से प्रभावी)

क्र०स०	व्यय की मदें	धनराशि रू० में
1-	द्वितीय श्रेणी रेल किराया (कन्सेशन के आधार पर)/बस किराया जहां अनुमन्य हो (दोनों ओर का)	द्वितीय श्रेणी स्लीपर क्लास रेल किराया आरक्षण सहित/बस किराया।
2-	अनुसांगिक व्यय-	रू० 200/- प्रति सदस्य की दर से
3-	दैनिक भत्ता (एक दिन पूर्व की सुविधा सहित)-	दर रू० 375/- प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी की दर से (नाश्ता एवं भोजन की व्यवस्था हेतु)
4-	आवासीय व्यवस्था पर व्यय- (बेड, चादर, गद्दा, चादर, रजाई, धर्मशाला आदि पर व्यय किया जायेगा)	आवासीय व्यवस्था रू० 177/- (गद्दा, चादर, रजाई, बेड आदि) प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी की दर से अनुमन्य यदि स्टेडियम परिसर से बाहर आवास हेतु धर्मशाला/होटल आदि आरक्षित किया जाता है तो किराये हेतु रू० 118/- प्रतिदिन, प्रति सदस्य की दर से अतिरिक्त अनुमन्य। (जी०एस०टी० सहित)
5-	पुरस्कार पर व्यय:- (प्रति खेल) 1-प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को-- 2-द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को--	रू० 1,000-00 प्रति खिलाड़ी रू० 800-00 प्रति खिलाड़ी
6-	निर्णायको के टी०ए०/डी०ए० आदि पर होने वाला व्यय-	मानक परिशिष्ट-ख पर सलग्न है।
7-	क्रीड़ा उपकरणों पर व्यय -- (शटल काक, टेनिस बाल, टी०टी० बाल, नेट, स्कोर शीट टेक्नीकल टेबुल सम्बन्धी उपकरण आदि)	रू० 15,000/-
8-	विविध व्यय- (फर्नीचर, परिवहन, शामियाना, उद्घाटन, समापन, आफिसियल्स/मीडिया को नित्य दिन दिये जाने वाला जलपान, माइक, दवाइयां, फोटोग्राफी, बैनर, प्रचार-प्रसार आदि)	रू० 50,000/- प्रति
9-	प्रदेशीय संघों को सम्बद्धता शुल्क--	देय नहीं है।

::अन्य दिशा निर्देशः::

- 1- प्रतियोगिता की अवधि एवं स्वरूप:- 03 दिवस/नाकआउट के आधार पर।
- 2- प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीम की संख्या:- 10 टीम (जिसमें 01 स्थानीय टीम)।
- 3- एक टीम में खिलाड़ियों/मैनेजर की संख्या:- 06बालक+06बालिका +01=13 सदस्य ।
- 4- प्रतियोगिता के आयोजन की तिथियों का निर्धारण-प्रदेशीय संघ के परामर्श से।
- 5- स्थानीय टीम को केवल खेल के दिवसों में दैनिक भत्ते की सुविधा अनुमन्य होगी।
- 6- एक दिन पूर्व दैनिक भत्ते की सुविधा तभी ही दी जाये जब वे वास्तव में प्रतियोगिता के एक दिन पूर्व आयोजन स्थल पर उपस्थित हो तथा 400कि०मी० से अधिक की दूरी से आने वाली टीमों को एक दिन बाद की सुविधा प्रदान की जाय।
- 7- उन मण्डलों में पड़ने वाले स्पोर्ट्स कालेज/छात्रावास को भी आमंत्रित किया जाय और पुष्टि होने पर ही उन्हें प्रतियोगिता में सम्मिलित किया जाय।







(डा० आर०पी० सिंह)
निदेशक, खेल।

परिशिष्ट- 'क'

ओपेन स्टेट आमंत्रण तीरंदाजी प्रतियोगिता के आयोजन हेतु व्ययों का मानक

(जून, 2024 से प्रभावी)


क्र०स०	व्यय की मदें	घनराशि रू० में
1-	द्वितीय श्रेणी रेल किराया (कन्सेशन के आधार पर)/बस किराया जहां अनुमन्य हो (दोनों ओर का)	द्वितीय श्रेणी स्लीपर क्लास रेल किराया आरक्षण सहित/बस किराया।
2-	अनुसागिक व्यय-	रू० 200/- प्रति सदस्य की दर से
3-	दैनिक भत्ता (एक दिन पूर्व की सुविधा सहित)-	दर रू० 375/- प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी की दर से (नाश्ता एवं भोजन की व्यवस्था हेतु)
4-	आवासीय व्यवस्था पर व्यय- (बेड, चादर, गद्दा, चादर, रजाई, धर्मशाला आदि पर व्यय किया जायेगा)	आवासीय व्यवस्था रू० 177/- (गद्दा, चादर, रजाई, बेड आदि) प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी की दर से अनुमन्य यदि स्टेडियम परिसर से बाहर आवास हेतु धर्मशाला/होटल आदि आरक्षित किया जाता है तो किराये हेतु रू० 118/- प्रतिदिन, प्रति सदस्य की दर से अतिरिक्त अनुमन्य। (जी०एस०टी० सहित)
5-	पुरस्कार पर व्यय:- (प्रति खेल) 1-प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को-- 2-द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को-- 3-तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को--	रू० 1,000-00 प्रति खिलाड़ी रू० 800-00 प्रति खिलाड़ी रू० 600-00 प्रति खिलाड़ी
6-	निर्णायको के टी०ए०/डी०ए० आदि पर होने वाला व्यय-	मानक परिशिष्ट-ख पर सलंगन है।
7-	क्रीड़ा उपकरणों पर व्यय -- (तीर, नोक, स्कोर शीट टेक्नीकल टेबुल सम्बन्धी उपकरण आदि)	रू० 15,000/-
8-	विविध व्यय- (फर्नीचर, परिवहन, शामियाना, उद्घाटन, समापन, आफिसियल्स/मीडिया को नित्य दिन दिये जाने वाला जलपान, माइक, दवाइयां, फोटोग्राफी, बैनर, प्रचार-प्रसार आदि)	रू० 50,000/- प्रति
9-	प्रदेशीय संघों को सम्बद्धता शुल्क--	देय नहीं है।

::अन्य दिशा निर्देशः::

- 1- प्रतियोगिता की अवधि एवं स्वरूप:- 03 दिवस/नाकआउट के आधार पर।
- 2- प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीम की संख्या:- 10 टीम (जिसमें 01 स्थानीय टीम)।
- 3- एक टीम में खिलाड़ियों/मैनेजर की संख्या:- 04 बालक+04 बालिका+01=09 सदस्य।
- 4- प्रतियोगिता के आयोजन की तिथियों का निर्धारण-प्रदेशीय संघ के परामर्श से।
- 5- स्थानीय टीम को केवल खेल के दिवसों में दैनिक भत्ते की सुविधा अनुमन्य होगी।
- 6- एक दिन पूर्व दैनिक भत्ते की सुविधा तभी ही दी जाये जब वे वास्तव में प्रतियोगिता के एक दिन पूर्व आयोजन स्थल पर उपस्थित हो तथा 400कि०मी० से अधिक की दूरी से आने वाली टीमों को एक दिन बाद की सुविधा प्रदान की जाय।
- 7- उन मण्डलों में पड़ने वाले स्पोर्ट्स कालेज/छात्रावास को भी आमंत्रित किया जाय और पुष्टि होने पर ही उन्हें प्रतियोगिता में सम्मिलित किया जाय।
- 8- संघ के परामर्श से टीमों को आमंत्रित किया जाय।







(डा० आर०पी० सिंह)
निदेशक, खेल।

परिशिष्ट- 'क'


ओपेन स्टेट आमंत्रण जिम्नास्टिक प्रतियोगिता के आयोजन हेतु व्ययों का मानक

(जून, 2024 से प्रभावी)

क्र०स०	व्यय की मदें	धनराशि रू० में
1-	द्वितीय श्रेणी रेल किराया (कन्सेशन के आधार पर)/बस किराया जहां अनुमन्य हो (दोनों ओर का)	द्वितीय श्रेणी स्लीपर क्लास रेल किराया आरक्षण सहित/बस किराया।
2-	अनुसांगिक व्यय-	रू० 200/- प्रति सदस्य की दर से
3-	दैनिक भत्ता (एक दिन पूर्व की सुविधा सहित)-	दर रू० 375/- प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी की दर से (नाश्ता एवं भोजन की व्यवस्था हेतु)
4-	आवासीय व्यवस्था पर व्यय- (बेड, चादर, गद्दा, चादर, रजाई, धर्मशाला आदि पर व्यय किया जायेगा)	आवासीय व्यवस्था रू० 177/- (गद्दा, चादर, रजाई, बेड आदि) प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी की दर से अनुमन्य यदि स्टेडियम परिसर से बाहर आवास हेतु धर्मशाला/होटल आदि आरक्षित किया जाता है तो किराये हेतु रू० 118/- प्रतिदिन, प्रति सदस्य की दर से अतिरिक्त अनुमन्य। (जी०एस०टी० सहित)
5-	पुरस्कार पर व्यय:- (प्रति खेल) 1-प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को-- 2-द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को-- 3-तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को--	रू० 1,000-00 प्रति खिलाड़ी रू० 800-00 प्रति खिलाड़ी रू० 600-00 प्रति खिलाड़ी
6-	निर्णायको के टी०ए०/डी०ए० आदि पर होने वाला व्यय-	मानक परिशिष्ट-ख पर सलग्न है।
7-	क्रीड़ा उपकरणों पर व्यय -- (पाउडर हेतु एवं टेक्नीकल टेबुल सम्बन्धी उपकरण आदि)	रू० 1,500/-
8-	विविध व्यय- (फर्नीचर, परिवहन, शामियाना, उद्घाटन, समापन, आफिसियल्स/मीडिया को नित्य दिन दिये जाने वाला जलपान, माइक, दवाइयां, फोटोग्राफी, बैनर, प्रचार-प्रसार आदि)	रू० 50,000/- प्रति
9-	प्रदेशीय संघों को सम्बद्धता शुल्क--	देय नहीं है।

::अन्य दिशा निर्देशः:

- 1- प्रतियोगिता की अवधि एवं स्वरूप:- 02 दिवस/नाकआउट के आधार पर।
- 2- प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीम की संख्या:- 10 टीम (जिसमें 01 स्थानीय टीम)।
- 3- एक टीम में खिलाड़ियों/मैनेजर की संख्या:- 06बालक+06बालिका+01=13 सदस्य।
- 4- प्रतियोगिता के आयोजन की तिथियों का निर्धारण-प्रदेशीय संघ के परामर्श से।
- 5- स्थानीय टीम को केवल खेल के दिवसों में दैनिक भत्ते की सुविधा अनुमन्य होगी।
- 6- एक दिन पूर्व दैनिक भत्ते की सुविधा तभी ही दी जाये जब वे वास्तव में प्रतियोगिता के एक दिन पूर्व आयोजन स्थल पर उपस्थित हो तथा 400कि०मी० से अधिक की दूरी से आने वाली टीमों को एक दिन बाद की सुविधा प्रदान की जाय।
- 7- उन मण्डलों में पढ़ने वाले स्पोर्ट्स कालेज/छात्रावास को भी आमंत्रित किया जाय और पुष्टि होने पर ही उन्हें प्रतियोगिता में सम्मिलित किया जाय।







(डा० आर०पी० सिंह)
निदेशक, खेल।


परिशिष्ट- 'क'

ओपेन स्टेट आमंत्रण भारोत्तोलन/पावरलिफ्टिंग प्रतियोगिता के आयोजन हेतु व्ययों का मानक
(जून, 2024 से प्रभावी)

क्र०स०	व्यय की मदें	धनराशि रु० में
1-	द्वितीय श्रेणी रेल किराया (कन्सेशन के आधार पर)/बस किराया जहां अनुमन्य हो (दोनों ओर का)	द्वितीय श्रेणी स्लीपर क्लास रेल किराया आरक्षण सहित/बस किराया।
2-	अनुसागिक व्यय-	रु० 200/- प्रति सदस्य की दर से
3-	दैनिक भत्ता (एक दिन पूर्व की सुविधा सहित)-	दर रु० 375/- प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी की दर से (नाश्ता एवं भोजन की व्यवस्था हेतु)
4-	आवासीय व्यवस्था पर व्यय- (वेड, चादर, गद्दा, चादर, रजाई, धर्मशाला आदि पर व्यय किया जायेगा)	आवासीय व्यवस्था पर रु० 177/- (गद्दा, चादर, रजाई, बेड आदि) प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी की दर से अनुमन्य यदि स्टेडियम परिसर से बाहर आवास हेतु धर्मशाला/होटल आदि आरक्षित किया जाता है तो किराये हेतु रु० 118/- प्रतिदिन, प्रति सदस्य की दर से अतिरिक्त अनुमन्य। (जी०एस०टी० सहित)
5-	पुरस्कार पर व्यय:- (प्रति खेल) 1-प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को-- 2-द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को-- 3-तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को--	रु० 1,000-00 प्रति खिलाड़ी रु० 800-00 प्रति खिलाड़ी रु० 600-00 प्रति खिलाड़ी
6-	निर्णायको के टी०ए०/डी०ए० आदि पर होने वाला व्यय-	मानक परिशिष्ट-ख पर सलग्न है।
7-	क्रीड़ा उपकरणों पर व्यय -- (पाउडर हेतु एवं टेक्नीकल टेबुल सम्बन्धी उपकरण आदि)	रु० 1,500/-
8-	विविध व्यय- (फर्नीचर, परिवहन, शामियाना, उद्घाटन, समापन, आफिसियल्स/मीडिया को नित्य दिन दिये जाने वाला जलपान, माइक, दवाइयाँ, फोटोग्राफी, बैनर, प्रचार-प्रसार आदि)	रु० 50,000/- प्रति
9-	प्रदेशीय संघों को सम्बद्धता शुल्क--	देय नहीं है।

::अन्य दिशा निर्देशः::

- 1- प्रतियोगिता की अवधि एवं स्वरूप:- 03 दिवस/नाकआउट के आधार पर।
- 2- प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीम की संख्या:- 10 टीम (जिसमें 01 स्थानीय टीम)।
- 3- एक टीम में खिलाड़ियों/मैनेजर की संख्या:- 09+01=10 सदस्य ।
- 4- प्रतियोगिता के आयोजन की तिथियों का निर्धारण-प्रदेशीय संघ के परामर्श से।
- 5- स्थानीय टीम को केवल खेल के दिवसों में दैनिक भत्ते की सुविधा अनुमन्य होगी।
- 6- एक दिन पूर्व दैनिक भत्ते की सुविधा तभी ही दी जाये जब वे वास्तव में प्रतियोगिता के एक दिन पूर्व आयोजन स्थल पर उपस्थित हो तथा 400कि०मी० से अधिक की दूरी से आने वाली टीमों को एक दिन बाद की सुविधा प्रदान की जाय।
- 7- उन मण्डलों में पड़ने वाले स्पोर्ट्स कालेज/छात्रावास को भी आमंत्रित किया जाय और पुष्टि होने पर ही उन्हें प्रतियोगिता में सम्मिलित किया जाय।







(डा० आर०पी० सिंह)
निदेशक, खेल।


परिशिष्ट- 'क'

ओपेन स्टेट आमंत्रण कुश्ती/जूडो/बाक्सिंग प्रतियोगिता के आयोजन हेतु व्ययों का मानक
(जून, 2024 से प्रभावी)

क्र०स०	व्यय की मदें	धनराशि रू० में
1-	द्वितीय श्रेणी रेल किराया (कन्सेशन के आधार पर)/बस किराया जहां अनुमन्य हो (दोनों ओर का)	द्वितीय श्रेणी स्लीपर क्लास रेल किराया आरक्षण सहित/बस किराया।
2-	अनुसांगिक व्यय-	रू० 200/- प्रति सदस्य की दर से
3-	दैनिक भत्ता (एक दिन पूर्व की सुविधा सहित)-	दर रू० 375/- प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी की दर से (नाश्ता एवं भोजन की व्यवस्था हेतु)
4-	आवासीय व्यवस्था पर व्यय- (बेड,चादर,गद्दा,चादर,रजाई, धर्मशाला आदि पर व्यय किया जायेगा)	आवासीय व्यवस्था पर रू० 177/- (गद्दा, चादर, रजाई, बेड आदि) प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी की दर से अनुमन्य यदि स्टेडियम परिसर से बाहर आवास हेतु धर्मशाला/होटल आदि आरक्षित किया जाता है तो किराये हेतु रू० 118/- प्रतिदिन, प्रति सदस्य की दर से अतिरिक्त अनुमन्य। (जी०एस०टी० सहित)
5-	पुरस्कार पर व्यय:- (प्रति खेल) 1-प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को-- 2-द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को-- 3-तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को--	रू० 1,000-00 प्रति खिलाड़ी रू० 800-00 प्रति खिलाड़ी रू० 600-00 प्रति खिलाड़ी
6-	निर्णायकों के टी०ए०/डी०ए० आदि पर होने वाला व्यय--	मानक परिशिष्ट-ख पर सलग्न है।
7-	क्रीडा उपकरणों पर व्यय --	-
8-	विविध व्यय- (फर्नीचर, परिवहन, शामियाना, उद्घाटन, समापन,आफिसियल्स/मीडिया को नित्य दिन दिये जाने वाला जलपान, माइक, दवाइयां,फोटोग्राफी, बैनर, प्रचार-प्रसार आदि)	रू० 50,000/- प्रति
9-	प्रदेशीय संघों को सम्बद्धता शुल्क--	देय नहीं है।

::अन्य दिशा निर्देशः:

- 1- प्रतियोगिता की अवधि एवं स्वरूप:- 03 दिवस/नाकआउट के आधार पर।
- 2- प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीम की संख्या:- 10 टीम (जिसमें 01 स्थानीय टीम)।
- 3- एक टीम में खिलाड़ियों/मैनेजर की संख्या:- 09+01=10 सदस्य ।
11+1=12सदस्य (जूडो हेतु)
- 4- प्रतियोगिता के आयोजन की तिथियों का निर्धारण-प्रदेशीय संघ के परामर्श से।
- 5- स्थानीय टीम को केवल खेल के दिवसों में दैनिक भत्ते की सुविधा अनुमन्य होगी।
- 6- एक दिन पूर्व दैनिक भत्ते की सुविधा तभी ही दी जाये जब वे वास्तव में प्रतियोगिता के एक दिन पूर्व आयोजन स्थल पर उपस्थित हो तथा 400कि०मी० से अधिक की दूरी से आने वाली टीमों को एक दिन बाद की सुविधा प्रदान की जायं।
- 7- उन मण्डलों में पड़ने वाले स्पोर्ट्स कालेज/छात्रावास को भी आमंत्रित किया जाय और पुष्टि होने पर ही उन्हें प्रतियोगिता में सम्मिलित किया जायं।







(डा० आर०पी० सिंह)
निदेशक, खेल।

परिशिष्ट- 'क'

ओपेन स्टेट आमंत्रण फुटबाल एवं हाकी प्रतियोगिता के आयोजन हेतु व्ययों का मानक
(जून, 2024 से प्रभावी)

क्र०स०	व्यय की मदें	घनराशि रू० में
1-	द्वितीय श्रेणी रेल किराया (कन्सेशन के आधार पर)/बस किराया जहां अनुमन्य हो (दोनों ओर का)	द्वितीय श्रेणी स्लीपर क्लास रेल किराया आरक्षण सहित/बस किराया रेल सुविधा न होने पर।
2-	अनुसांगिक व्यय-	रू० 200/- प्रति सदस्य की दर से
3-	दैनिक भत्ता (एक दिन पूर्व की सुविधा सहित)-	दर रू० 375/- प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी की दर से (नाश्ता एवं भोजन की व्यवस्था हेतु)
4-	आवासीय व्यवस्था पर व्यय- (बेड,चादर,गद्दा,चादर,रजाई, धर्मशाला आदि पर व्यय किया जायेगा)	आवासीय व्यवस्था रू० 177/- (गद्दा, चादर, रजाई, बेड आदि) प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी की दर से अनुमन्य यदि स्टेडियम परिसर से बाहर आवास हेतु धर्मशाला/होटल आदि आरक्षित किया जाता है तो किराये हेतु रू० 118/- प्रतिदिन, प्रति सदस्य की दर से अतिरिक्त अनुमन्य। (जी०एस०टी० सहित)
5-	पुरस्कार पर व्यय:- (प्रति खेल) 1-प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को-- 2-द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को--	रू० 1,000-00 प्रति खिलाड़ी रू० 800-00 प्रति खिलाड़ी
6-	निर्णायकों के टी०ए०/डी०ए० आदि पर होने वाला व्यय-	मानक परिशिष्ट-ख पर सलग्न है।
7-	क्रीड़ा उपकरणों पर व्यय -- (बाल, नेट, स्कोर शीट टेक्नीकल टेबुल सम्बन्धी उपकरण आदि)	रू० 15,000/-
8-	विविध व्यय- (फर्नीचर, परिवहन, शामियाना, उद्घाटन, समापन,आफिसियल्स/मीडिया को नित्य दिन दिये जाने वाला जलपान, माइक, दवाइयां,फोटोग्राफी, बैनर, प्रचार-प्रसार आदि)	रू० 50,000/- प्रति
9-	प्रदेशीय संघों को सम्बद्धता शुल्क--	देय नहीं है।

::अन्य दिशा निर्देशः:

- 1- प्रतियोगिता की अवधि एवं स्वरूप:- 05 दिवस/लीग-कम-नाकआउट के आधार पर।
- 2- प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीम की संख्या:- 10 टीम (जिसमें 01 स्थानीय टीम)।
- 3- एक टीम में खिलाड़ियों/मैनेजर की संख्या:- 16 +01=17 सदस्य।
- 4- प्रतियोगिता के आयोजन की तिथियों का निर्धारण-प्रदेशीय संघ के परामर्श से।
- 5- स्थानीय टीम को केवल खेल के दिवसों में दैनिक भत्ते की सुविधा अनुमन्य होगी।
- 6- एक दिन पूर्व दैनिक भत्ते की सुविधा तभी ही दी जाये जब वे वास्तव में प्रतियोगिता के एक दिन पूर्व आयोजन स्थल पर उपस्थित हो तथा 400कि०मी० से अधिक की दूरी से आने वाली टीमों को एक दिन बाद की सुविधा प्रदान की जाय।
- 7- उन मण्डलों में पडने वाले स्पोर्ट्स कालेज/छात्रावास को भी आमंत्रित किया जाय और पुष्टि होने पर ही उन्हें प्रतियोगिता में सम्मिलित किया जाय।







(डा० आर०पी० सिंह)
निदेशक, खेल।

परिशिष्ट- 'क'

अखिल भारतीय प्राइजमनी फुटबाल (पुरुष) प्रतियोगिता के आयोजन हेतु व्ययों का मानक
(जून, 2024 से प्रभावी)

क्र०स०	व्यय की मर्दे	धनराशि रू० में
1	टीमों को किराया-	तृतीय श्रेणी वातानुकूलित रेल किराया/ बस किराया।
2	जर्नी एलाउन्स- प्रति टीम	रू० 1,000/-प्रति सदस्य।
3	दैनिक भत्ता	रू० 650/प्रतिदिन, प्रति सदस्य।
4	निर्णायको/ आफिसियल्स के टी०ए०/डी०ए० आदि पर होने वाला व्यय-	फेडरेशन द्वारा निर्धारित नार्म्स के आधार पर
5	निर्णायको/आफिसियल्स के आवास पर व्यय	रू० 1,500/- (जी०एस०टी० अतिरिक्त) प्रतिदिन, प्रति सदस्य।
6	पुरस्कार पर व्यय:- 1-प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीम को-- 2-द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम को-- 3-तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम को-	रू० 2,00,000/- रू० 1,00,000/- रू० 50,000/-
7	टीमों के आवासीय व्यवस्था पर व्यय- (बेड, चादर, गद्दा, चादर, रजाई/ होटल आदि पर व्यय किया जायेगा)	आवासीय व्यवस्था रू० 1,000/- (जी०एस०टी० अतिरिक्त) प्रति खिलाडी/सदस्य, प्रतिदिन।
8	क्रीड़ा उपकरणों पर व्यय -- (बाल, नेट, कानर फ्लेग, स्कोर शीट टेक्नीकल टेबुल सम्बन्धी उपकरण, आफिसियल्स के शर्ट्स आदि)	रू० 30,000/-
9	परिवहन व्यवस्था (बस, टैक्सी, पेट्रोल, डीजल आदि) पर व्यय	रू० 1,50,000/-
10	फर्नीचर, शामियाना आदि के किराये पर व्यय- (कुर्सी, मेज, टेन्ट, कैनोपी, स्टाल आदि)	रू० 75,000/-
11	उद्घाटन/समापन समारोह पर व्यय- (उद्घाटन/समापन समारोह हेतु जलपान, मीडिया, टीमों, आफिसियल्स को नित्य दिन जलपान.)	रू० 60,000/-
12	विविध व्यय- (माइक, दवाइयाँ, फोटोग्राफी, बैनर, प्रचार-प्रसार, मुख्य अतिथि/अतिथियों को स्मृति चिन्ह, टीमों को मोमेन्टो, ट्रफी, स्टेशनरी, इन्वटेशन कार्ड, आदि)	रू० 60,000/-
13	कैपिटेशन शुल्क	सम्बन्धित फेडरेशन द्वारा निर्धारित शुल्क की धनराशि
14	प्रदेशीय संघों को सम्बद्धता शुल्क--	देय नहीं है।

दिशा-निर्देश:- भारतीय फुटबाल फेडरेशन द्वारा निर्धारित नियम एवं निर्देश लागू होंगे।

(डा० आर०पी० सिंह)
निदेशक, खेल।

परिशिष्ट- 'क'

अखिल भारतीय प्राइजमनी हाकी (महिला) एवं हाकी पुरुष (पद्मश्री मो०शाहिद) प्रतियोगिता के आयोजन हेतु व्ययों का मानक (जून, 2024 से प्रभावी)

क्र०स०	व्यय की मदें	धनराशि रू० में
1	टीमों को किराया-	वास्तविकता के आधार पर।
2	जर्नी एलाउन्स- प्रति टीम	फेडरेशन द्वारा निर्धारित नार्म्स के आधार पर
3	दैनिक भत्ता	फेडरेशन द्वारा निर्धारित नार्म्स के आधार पर
4	निर्णायको/ आफिसियल्स के टी०ए०/डी०ए० आदि पर होने वाला व्यय-	फेडरेशन द्वारा निर्धारित नार्म्स के आधार पर
5	निर्णायको/आफिसियल्स के आवास पर व्यय	रू० 1,500/- (जी०एस०टी० अतिरिक्त) प्रतिदिन, प्रति सदस्य।
6	पुरस्कार पर व्यय:- 1-प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीम को-- 2-द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम को-- 3-तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम को-	रू० 2,00,000/- रू० 1,00,000/- रू० 50,000/-
7	टीमों के आवासीय व्यवस्था पर व्यय- (बेड, चादर, गद्दा, चादर, रजाई/ होटल आदि पर व्यय किया जायेगा)	आवासीय व्यवस्था रू० 1,000/- (जी०एस०टी० अतिरिक्त) प्रति खिलाड़ी/सदस्य, प्रतिदिन।
8	क्रीडा उपकरणों पर व्यय -- (बाल, नेट, कार्नर फ्लैग, स्कोर शीट टेक्नीकल टेबुल सम्बन्धी उपकरण, आफिसियल्स के शर्ट्स आदि)	रू० 30,000/-
9	परिवहन व्यवस्था (बस, टैक्सी, पेट्रोल, डीजल आदि) पर व्यय	रू० 1,50,000/-
10	फर्नीचर, शामियाना आदि के किराये पर व्यय- (कुर्सी, मेज, टेन्ट, कैनोपी, स्टाल आदि)	रू० 75,000/-
11	उदघाटन/समापन समारोह पर व्यय- (उदघाटन/समापन समारोह हेतु जलपान, मीडिया टीमों, आफिसियल्स को नित्य दिन जलपान,)	रू० 60,000/-
12	विविध व्यय- (माइक, दवाइयां, फोटोग्राफी, बैनर, प्रचार-प्रसार, मुख्य अतिथि/अतिथियों को स्मृति चिन्ह, टीमों को मोमेन्टो, टाफी, स्टेशनरी, इन्वटेशन कार्ड, आदि)	रू० 60,000/-
13	कैपिटेशन शुल्क	सम्बन्धित फेडरेशन द्वारा निर्धारित शुल्क की धनराशि
14	प्रदेशीय संघों को सम्बद्धता शुल्क--	देय नहीं है।

दिशा-निर्देश:- भारतीय हाकी इण्डिया द्वारा निर्धारित नियम एवं निर्देश लागू होंगे।

(डा० आर०पी० सिंह)
निदेशक, खेल।

परिशिष्ट- 'क'

अखिल भारतीय के० डी० सिंह 'बाबू' स्मारक प्राइजमनी आमंत्रण हाकी प्रतियोगिता के आयोजन हेतु व्ययों का मानक (जून, 2024 से प्रभावी)

क्र०स०	व्यय की मदें	धनराशि रू० में
1	टीमों को किराया-	तृतीय श्रेणी वातानुकूलित रेल किराया/ बस किराया।
2	जर्नी एलाउन्स- प्रति टीम	फेडरेशन द्वारा निर्धारित नार्म्स के आधार पर
3	दैनिक भत्ता	फेडरेशन द्वारा निर्धारित नार्म्स के आधार पर
4	निर्णायको/ आफिसियल्स के टी०ए०/डी०ए० आदि पर होने वाला व्यय-	फेडरेशन द्वारा निर्धारित नार्म्स के आधार पर
5	निर्णायको/आफिसियल्स के आवास पर व्यय	रू० 1,500/- (जी०एस०टी० अतिरिक्त) प्रतिदिन, प्रति सदस्य।
6	पुरस्कार पर व्यय:- 1-प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीम को-- 2-द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम को-- 3-तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम को-- 4-सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी- 5-सर्वश्रेष्ठ- गोलकीपर, फुलबैक, फारवर्ड, हाफ-	रू० 2,00,000/- रू० 1,00,000/- रू० 50,000/- रू० 20,000/- रू० 10,000/- प्रति खिलाड़ी
7	टीमों के आवासीय व्यवस्था पर व्यय- (बेड, चादर, गद्दा, चादर, रजाई/ होटल आदि पर व्यय किया जायेगा)	आवासीय व्यवस्था रू० 1,000/- (जी०एस०टी० अतिरिक्त) प्रति खिलाड़ी/सदस्य, प्रतिदिन।
8	क्रीडा उपकरणों पर व्यय --- (बाल, नेट, कार्नर फ्लैग, स्कोर शीट टेक्नीकल टेबुल सम्बन्धी उपकरण, आफिसियल्स के शर्ट्स आदि)	रू० 30,000/-
9	परिवहन व्यवस्था (बस, टैक्सी, पेट्रोल, डीजल आदि) पर व्यय	रू० 1,50,000/-
10	फर्नीचर, शामियाना आदि के किराये पर व्यय- (कुर्सी, मेज, टेन्ट, कैनोपी, स्टाल आदि)	रू० 75,000/-
11	उदघाटन/समापन समारोह पर व्यय- (उदघाटन/समापन समारोह हेतु जलपान, मीडिया, टीमों, आफिसियल्स को नित्य दिन जलपान,)	रू० 60,000/-
12	विविध व्यय- (माइक, दवाइया, फोटोग्राफी, बैनर, प्रचार-प्रसार, मुख्य अतिथि/अतिथियों को स्मृति चिन्ह, टीमों को मोमेन्टो, ट्राफी, स्टेशनरी, इन्वटेशन कार्ड, आदि)	रू० 60,000/-
13	कैपिटेशन शुल्क	सम्बन्धित फेडरेशन द्वारा निर्धारित शुल्क की धनराशि
14	प्रदेशीय संघों को सम्बद्धता शुल्क--	देय नहीं है।

दिशा-निर्देश:- हाकी इण्डिया द्वारा निर्धारित नियम एवं निर्देश लागू होंगे।


(डा० आर०पी० सिंह)
निदेशक, खेल।

परिशिष्ट- 'क'

**अखिल भारतीय प्राईजमनी वालीबाल/कबड्डी प्रतियोगिता के आयोजन हेतु व्ययों का मानक
(जून, 2024 से प्रभावी)**

क्र०स०	व्यय की मर्दे	धनराशि रू० में
1	टीमों को किराया-	तृतीय श्रेणी वातानुकूलित रेल किराया/बस किराया।
2	जर्नी एलाउन्स- प्रति टीम	फेडरेशन द्वारा निर्धारित नामर्स के आधार पर
3	दैनिक भत्ता	फेडरेशन द्वारा निर्धारित नामर्स के आधार पर
4	निर्णायको/ आफिसियल्स के टी०ए०/डी०ए० आदि पर होने वाला व्यय-	फेडरेशन द्वारा निर्धारित नामर्स के आधार पर
5	निर्णायको/आफिसियल्स के आवास पर व्यय	रू० 1,500/- (जी०एस०टी० अतिरिक्त) प्रतिदिन, प्रति सदस्य।
6	पुरस्कार पर व्यय:- 1-प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीम को-- 2-द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम को-- 3-तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम को-	रू० 2,00,000/- रू० 1,00,000/- रू० 50,000/-
7	टीमों के आवासीय व्यवस्था पर व्यय- (बेड, चादर, गद्दा, चादर, रजाई/ होटल आदि पर व्यय किया जायेगा)	आवासीय व्यवस्था रू० 1,000/- (जी०एस०टी० अतिरिक्त) प्रति खिलाडी/सदस्य, प्रतिदिन।
8	क्रीड़ा उपकरणों पर व्यय --- (बाल, नेट, कार्नर फ्लैग, स्कोर शीट टेक्नीकल टेबुल सम्बन्धी उपकरण, आफिसियल्स के शर्ट्स आदि)	रू० 30,000/- ✓
9	परिवहन व्यवस्था (बस, टैक्सी, पेट्रोल, डीजल आदि) पर व्यय	रू० 1,50,000/- ✓
10	फर्नीचर, शामियाना आदि के किराये पर व्यय- (कुर्सी, मेज, टेन्ट, कैनोपी, स्टाल आदि)	रू० 75,000/- ✓
11	उद्घाटन/समापन समारोह पर व्यय- (उद्घाटन/समापन समारोह हेतु जलपान, मीडिया, टीमों, आफिसियल्स को नित्य दिन जलपान,)	रू० 60,000/- ✓
12	विविध व्यय- (माइक, दवाइयां, फोटोग्राफी, बैनर, प्रचार-प्रसार, मुख्य अतिथि/अतिथियों को स्मृति चिन्ह, टीमों को मोमेन्टो, ट्राफी, स्टेशनरी, इन्वटेशन कार्ड, आदि)	रू० 60,000/-
13	कौपिटेशन शुल्क	सम्बन्धित फेडरेशन द्वारा निर्धारित शुल्क की धनराशि
14	प्रदेशीय संघों को सम्बद्धता शुल्क--	देय नहीं है।

दिशा-निर्देश:- भारतीय कबड्डी फेडरेशन द्वारा निर्धारित नियम एवं निर्देश लागू होंगे।





(डा० आर०पी० सिंह)
निदेशक, खेल।

परिशिष्ट- 'क'

अखिल भारतीय इन्दिरा मैराथन के आयोजन हेतु व्ययों का मानक (जून, 2024 से प्रभावी)

क्र०स०	व्यय की मदें	घनराशि रु० में
1	पुरस्कार पर व्यय:- 1-प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले पुरुष/महिला- 2-द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले पुरुष/महिला- 3-तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले पुरुष/महिला- 4-चार से चौदह स्थान प्राप्त करने कुल (11) पुरुष/महिला	रु० 9,00,000/-
2	कैंपिटेशन /रजिडेशन शुल्क तथा पुरस्कार पर राशि का 10 प्रतिशत भुगतान- (1) ए.ए.एफ.आई. दिल्ली (जी० एस० टी० अतिरिक्त)	रु० 5,00,000/- रु० 90,000/- ----- रु० 5,90,000/-
3	चेस्ट नम्बर (प्रतिसेट बनवाने पर) व्यय	रु० 40,000/-
4	प्रचार-प्रसार, बैनर, सेफटी पिन, टोपी,बैजेज, लाल झण्डे,विसिल,कागज के बैजेज, पोस्टर, लेटर हेड, लिफाफा, डायरी, पेन एवं फोल्डर आदि	रु० 1,50,000/-
5	दौड़ मार्ग पर बने बूथो पर प्रतियोगियों के अल्पाहार पर व्यय (नींबू, मुसम्बी,स्पंज, ग्लूकोज,थर्मोकोल गिलास,प्लास्टिक गिलास,मिनरल वाटर आदि)	रु० 35,000/-
6	अल्पाहार (लन्च पैकेट)	रु० 40,000/-
7	दौड़ अवधि में प्रयुक्त होने वाले पायलटो द्वारा मोटरसाईकिल, स्कूटर,जीप, कारो बसों में डीजल, पेट्रोल व जीप/बसों के किराये पर व्यय	रु० 1,50,000/-
8	दौड़ मार्ग को चिन्हित करने पर पेन्ट, मजदूरी,डीजल, पेट्रोल,बैरीकेटर, बोर्डों की पेन्टिंग व मरम्मत पर व्यय	रु० 40,000/-
9	टेक्निकल डेलीगेट्सों के यात्रा-भत्ता पर व्यय (यूपीएए,कानपुर/एएफआई, नई दिल्ली)	रु० 40,000/-
10	स्थानीय आफिसियल्स के कन्वेनश पर व्यय	रु० 40,000/-
11	दौड़ के उद्घाटन/समापन एवं मार्ग व्यवस्था पर व्यय--(उद्घाटन स्थल पर स्टेज,बैरीकेटिंग,जल, जलपान बूथ,लाउडस्पीकर,फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, पुरस्कार वितरण हेतु पाण्डाल,शामियाना, कुर्सी, मेज, सोफा, दौड़ मार्ग पर जीपों में लाउडस्पीकर, माल, फूल, बुके,गुब्बारे आदि)	रु० 2,00,000/-
12	प्रतिभागियों/आफिसियल्स/निर्णायको हेतु आवास की व्यवस्था पर व्यय	रु० 1,20,000/-
13	प्रतिभागियों की किट की सुरक्षा व्यवस्था पर व्यय	रु० 10,000/-
14	विविध व्यय- (मेडल, मोमेटो, स्मृति चिन्ह, दवाइयां, फार्मा की छपाई,स्टेशनरी, प्रमाण-पत्रों की छपाई,बैठको के दौरान जलपान,स्प्रे मशीन,स्टाप वाच,टाइमिंग डिवाइस,इन्वेटसन कार्ड,वाहनो के पास,जनरेटर व्यवस्था आदि)	रु० 1,50,000/-
15	प्रदेशीय संघों को सम्बद्धता शुल्क--	देय नहीं है।
	कुल योग	रु० 25,05,000/-

(डा० आर०पी० सिंह)
निदेशक, खेल।

परिशिष्ट- "ख"

समस्त प्रदेश स्तरीय समन्वय/ओपन स्टेट आमंत्रण/प्रदेश स्तरीय महिला प्रतियोगिताओं में निर्णायकों को दी जाने वाली सुविधाओं का मानक (जून, 2024 से प्रभावी)

क्र०स०	व्यय की मदें	धनराशि रू० में
1-	द्वितीय श्रेणी स्लीपर आरक्षण सहित रेल/बस किराया (दोनों ओर का)	द्वितीय श्रेणी स्लीपर क्लास रेल किराया आरक्षण सहित/बस किराया।
2-	अनुसांगिक व्यय	रू० 300/- प्रति सदस्य की दर से
3-	दैनिक भत्ता (एक दिन पूर्व की सुविधा सहित)	रू० 600/- प्रतिदिन प्रति सदस्य की दर से
4-	आवासीय व्यवस्था/कन्वेन्स हेतु	1- ए-श्रेणी के शहरों हेतु रू० 750/- प्रतिदिन प्रति सदस्य की दर से। 2- बी-श्रेणी के शहरों हेतु रू० 600/- प्रतिदिन प्रति सदस्य की दर से। 3- सी-श्रेणी के शहरों हेतु रू० 500/- प्रतिदिन प्रति सदस्य की दर से। (शहरों का वर्गीकरण राज्य सरकार द्वारा प्रतिस्थापित यात्रा-भत्ता नियमों के अन्तर्गत किया जाये)
5-	निर्णायको को पुरस्कार पर व्यय	रू० 600/- प्रति सदस्य की दर से
6-	प्रदेशीय संघ के अध्यक्ष/सचिव को दोनों ओर का द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित रेल किराया (एक दिन पूर्व की सुविधा सहित) तथा अन्य सुविधा उपरोक्तानुसार रहेगी।	-

निर्णायको की संख्या का निर्धारण

क्र०स०	खेल का नाम	निर्णायको की संख्या		
		प्रदेश महिला (स्थानीय क्वालीफाइड)	प्रदेश समन्वय	ओपन स्टेट आमंत्रण
1	शूटिंग	-	-	10
2	हाकी	10	12	10
3	फुटबाल	-	12	12
4	बाक्सिंग	-	12	12
5	कुश्ती	-	12	12
6	कबड्डी	08	20	12
7	खो-खो	08	-	12
8	वालीबाल	08	12	12
9	क्रिकेट (प्रति मैच)	-	-	03 प्रतिमैच
10	भारोत्तोलन	-	-	10
11	पावरलिफ्टिंग	-	-	10
12	बास्केटबाल	10	12	10
13	एथलेटिक्स	12	15	15

14	हैण्डबाल	08	12	12
15	जूडो	-	20	20
16	बैडमिन्टन	08	10	10
17	फैन्सिंग	-	-	10
18	ताइक्वाण्डो	-	-	12
19	रोईंग	-	-	10
20	क्याकिंग एण्ड कैनोइंग	-	-	10
21	टेबुल-टेनिस	08	10	10
22	टेनिस	08	-	10
23	तीरदांजी	-	-	10
24	तेराकी	10	25	20
25	जिम्नास्टिक	08	10	10

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

(डा० आर०पी० सिंह)
निदेशक, खेल।